IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.370 OF 2021

IN THE MATTER OF:

MANOJ KUMAR RAI **...Applicant**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....Respondent(s)

INDEX

S.No.	Particulars	PageNo.
1.	Index	
2.	Action taken report on behalf of Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. alongwith affidavit.	
3.	True Copies of the Action taken against the personnel. **(Annexure-1)**	
4.	A true copy of Report Dated 26-04-2023 of Assistant Consolidation Officer, Ballia. **(Annexure-2)**	
5.	A true copy of photograph of Legacy waste management plant. **(Annexure-3)**	

Respondent

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Standing counsel for state of UP
Chamber no. 04, Shivalik Tower,
Kaushambi, Ghaziabad

Date - 11/09/2023

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI ORIGINAL APPLICATION NO. 370 OF 2021

IN THE MATTER OF:

MANOJ KUMAR RAI ...**Applicant**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...**Respondent(s)**

ACTIONS TAKEN AND COMPLIANCE UNDER TAKEN BY THE PRINCIPAL SECRETARY, URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UP.

You are kindly requested to take the following Action Taken Report on behalf of Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. on record under on going matter, Original Application No. 370/2021, titled as-Manoj Kumar Rai Versus State of U.P.& Ors: -

1.That upon hearing of the present matter on 12.04.2023, following directions were made by the Hon'ble National Green Tribunal.

"........***1---Grievance in this application is against discharge of sewage and solid waste into Katahal drain connected to River Ganga in Balia, U.P. The applicant has stated that sewage network was proposed for which contract was given to M/s. Jyoti Buildtech Pvt. Ltd. but inspite of spending huge amount, the network has not been set up even after 13 years. The result is that the entire sewage and waste of the city is going into river Ganga continuously."***

-"--3--4--It is thus seen that 57 KM sewerage and 5.68 KM rising mains have remained unutilized for 13 years. There is no terminal STP and sewerage is lying defunct. Household connectivity needs to be ensured and separate outflow of Surha taal is maintained."

--6-"We record our dissatisfaction with the failure of the State Administration particularly failure to hold erring officers accountable for wastage of public money and preventing damage to river Ganga."

2. That in the year 2005, under the state sector program (Rs. 52.22 crore) in the city zone and in the year 2006 under the UIDSSMT program, for the civil line zone (Rs. 44.72 crore) was approved. Both the above works were allotted to M/s Jyoti Buildtech Pvt. Ltd., but due to non-availability of land in both the zones, the proposed works of sewage treatment plant (STP) could not be implemented.Under the aforesaid projects, excepts STP, following works in City zone & Civil line zone have been completed-

Sl. no.	**Zone**	**Description of Work**	**Quantity Executed**	**Remark**
1.	City Zone & Civil line Zone	1.Sewer line	57 km	Presently, the physical progress of the scheme is around 70%. Due to non-implementation of STP the works related to Sewer line, SPS &Rising main could not be commissioned.
		2.Sewage Pumping Station (SPS)	02 Nos (Civil works 90% complete)	
		3.Rising main	11 km (6.5 km from SPS in city zone to STP & 4.5 km from SPS in civil line zone to STP)	

The following 02 projects have been approved to complete the balance works of sewerage projects mentioned above. Brief description of works sanctioned in these projects are as follows:

S.N	PROJECT NAME	APPRAISED COST	PROPOSED WORK	PROGRAM
1.	Nagar Palika Parishad, Ballia Sewerage re-organization plan	10093.24 lakh	20 MLD STP -1 NO. Electrical& Mechanical work for S.P.S-1&2,Laying of Trunks main, bypass &Overflow pipeline.	AMRUT 2.0
2.	In Nagar Palika Parishad, Ballia restoration of work	934.78 lakh	De-silting of 57.218 Km. Sewer line and repairing of main hole	State sector (Urban)

3. That after the implementation of above-mentioned projects, utilization of 57.218 km sewer line, 11 km rising main, pumping station and related works will be possible and the collected sewage will be treated through the STP.

4. That the personnel were made liable for making irregularities in the sewer line works being implemented in the State Sector Sewerage Scheme and UIDSSMT scheme in the Nagar Palika Parishad area of Ballia district. Thereafter, the updated status of the departmental action taken against the personnel is as follows:

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
1	Mr. Qayam Hussian	Executive Engineer (Retd.)	Jal Nigam (Urban)	FIR No 0208 dated 20.04.2023**(Encl. No 1)** has been registered against him. The RC has been issued against him vide letter no 509/Work-10/27 dated 25.05.2023 **(Encl. No 2)** in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam (Urban), Lucknow letter no 268/007-2020-02-0053(VarZone) dated 19.04.2023 **(Encl. No 3)** for recovery of Rs. 942.70 lakhs from his retiral dues.
2	Mr. Fanindra Rai	Executive Engineer (Retd)	Jal Nigam(Urban)	FIR No 0447 dated 21.08.2023**(Encl. No 4)** has been registered against him. Agenda**(Encl. No 5)** for recovery of Rs. 34245334.90 and Rs. 61294072.65 i.e., Rs. 95539407.55 from his retiral dues has been put up in 5th Jal Nigam (Urban) board meeting dated 01.09.2023. Thus action to be taken is under process.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
3	Mr. Kamlesh Singh	Executive Engineer (retd.)	Jal Nigam (Urban)	FIR No 0447 dated 21.08.2023 **(Encl. No 4)** has been registered against him. The RC has been issued against him vide letter no 813/Work-10/45 dated 21.08.2023 **(Encl. No 6)** in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 326/007-2020-02-0053(VarZone) dated 11.05.2023 **(Encl. No 7)** for recovery of Rs. 725.33 Lakhs from his retiral dues.
4	Mr. S.N. Rai	Assistant Engineer (Retd)	Jal Nigam(Urban)	FIR No 0447 dated 21.08.2023 **(Encl. No 4)** has been registered against him. Departmental enquiry with the reference of letter no 145/007-2020-02-0053(VarZone) dated 15.03.2022 **(Encl. No 8)** of Chief Engineer(E-2), Jal Nigam (Urban), report vide letter no 43/Gopniya Janch-1/14 dated 17.08.2023 **(Encl. No 9)** of Superintending Engineer/ Investigation Officer, Jal Nigam(Urban), Prayagraj is in under process and consequences for further action against him is awaited.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
5	Mr. Neeraj Kumar Pandey	Junior Engineer	Jal Nigam(Urban)	FIR No 0447 dated 21.08.2023 **(Encl. No 4)** has been registered against him. Departmental enquiry with the reference of letter no 145/007-2020-02-0053(VarZone) dated 15.03.2022 **(Encl. No 10)** of Chief Engineer(E-2), Jal Nigam(Urban), report vide letter no 43/Gopniya Janch-1/14 dated 17.08.2023 **(Encl. No 11)** of Superintending Engineer/ Investigation Officer, Jal Nigam(Urban), Prayagraj is in under process and consequences for further action against him is awaited.
6	Ashok Kumar Srivastava	Executive Engineer (Retd)	Jal Nigam (Urban)	FIR No 0447 dated 21.08.2023 **(Encl. No 4)** has been registered against him. In view of his retirement on dated 31.03.2016, departmental proceedings under Rule 351(A)of CSR could not be instituted.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
7	Mr. Arvind Kumar	Executive Engineer	Jal Nigam (Rural)	To include his name in FIR no 0447, vide letter no 52/Gopniya Samanya/8 dated 22.08.2023 **(Encl. No 12)** of Executive Engineer, Jal Nigam(Urban), Ballia has been issued and delivered to Thana Kotwali in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 657/007-2020-02-0053(VarZone) dated 22.08.2023 **(Encl. No 13)** and consequently further action by the police department is awaited. For departmental enquiry, the matter has been transferred to Jal Nigam(Rural) by letter no 112/007-2020-01-0053 (VarZone)/2022 dated 02.03.2022 **(Encl. No 14)** of Superintending Engineer(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow and consequently vide letter no 01 dated 02.01.2023**(Encl. No 15)**, Managing Director, U. P. Jal Nigam(Rural) has been issued and thus action to be taken by Jal Nigam (Rural) is under process which is awaited.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
8	Shri V.K. Jaiswal	Assistant Engineer (Retd.)	Jal Nigam (Rural)	To include his name in FIR no 0447, vide letter no 52/Gopniya Samanya/8 dated 22.08.2023 **(Encl. No 12)** of Executive Engineer, Jal Nigam(Urban), Ballia has been issued and delivered to Thana Kotwali in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 657/007-2020-02-0053(VarZone) dated 22.08.2023 **(Encl. No 13)** and consequently further action by the police department is awaited. For departmental enquiry, the matter has been transferred to Jal Nigam(Rural) by letter no 112/007-2020-01-0053 (VarZone)/2022 dated 02.03.2022 **(Encl. No 14)** and consequently vide letter no 696 dated 19.10.2022**(Encl. No 16)**, Chief Engineer(E-2-1), U. P. Jal Nigam(Rural) has been issued and thus action to be taken by Jal Nigam (Rural) is under process which is awaited.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
9	Mr. Alok Jaiswal	Junior Engineer	Jal Nigam (Rural)	To include his name in FIR no 0447, vide letter no 52/Gopniya Samanya/8 dated 22.08.2023 **(Encl. No 12)** of Executive Engineer, Jal Nigam(Urban), Ballia has been issued and delivered to Thana Kotwali in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 657/007-2020-02-0053(VarZone) dated 22.08.2023 **(Encl. No 13)** and consequently further action by the police department is awaited. For departmental enquiry, the matter has been transferred to Jal Nigam(Rural) by letter no 112/007-2020-01-0053 (VarZone)/2022 dated 02.03.2022 **(Encl. No 14)**and consequently vide letter no 474 dated 05.08.2022**(Encl. No 17)**, Chief Engineer(E-2-2), U. P. Jal Nigam(Rural) has been issued and thus action to be taken by Jal Nigam (Rural) is under process which is awaited.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
10	R S Shukla	Executive Engineer (Retd)	Jal Nigam (Rural)	To include his name in FIR no 0447, vide letter no 52/Gopniya Samanya/8 dated 22.08.2023 **(Encl. No 12)** of Executive Engineer, Jal Nigam(Urban), Ballia has been issued and delivered to Thana Kotwali in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 657/007-2020-02-0053(VarZone) dated 22.08.2023 **(Encl. No 13)** and consequently further action by the police department is awaited. In view of his retirement on 30.11.2010, departmental proceedings could not be instituted under Rule 351(A) of CSR.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
11	Rajendra Prasad	Assistant Engineer (Retd)	Jal Nigam (Rural)	To include his name in FIR no 0447, vide letter no 52/Gopniya Samanya/8 dated 22.08.2023 **(Encl. No 12)** of Executive Engineer, Jal Nigam(Urban), Ballia has been issued and delivered to Thana Kotwali in compliance of SE(Complaint), Jal Nigam(Urban), Lucknow letter no 657/007-2020-02-0053(VarZone) dated 22.08.2023 **(Encl. No 13)** and consequently further action by the police department is awaited. For further departmental enquiry, the case(file no 29 of 2018) has been transferred to the office of Superintendent Engineer (Complaint), Jal Nigam(Rural), Lucknow, and thus it is under process for further actions.
12	Sushil Chandra Sinha	Divisional Accountant (Retd)	Jal Nigam (Urban)	The case of accused has been disposed of as the accused has been acquitted vide letter no. 325/007-2018-02-0029 dated 11.05.2023**(Encl. No 18)** of Chief Engineer(E-3), Jal Nigam(Urban), Lucknow as no any evidence has been found against allegations alleged.

S. no.	Name of Personnel	Designation	Organization	Status of action taken
13	Gopal Ji Singh	Divisional Accountant (Retd)	Jal Nigam (Urban)	The case of accused has been disposed of as the accused has been acquitted vide letter no. 268/007-2018-02-0029 dated 09.05.2023 **(Encl. No 19)** of Chief Engineer(E-3), Jal Nigam(Urban), Lucknow as no any evidence has been found against allegations alleged.

5. That by the letter dated 15.04.2023 from the Executive Engineer, construction division, Ballia, a case (crime no. 212/2023) **(Encl. No 20)** has been registered against M/s Jyoti Buildtech Pvt. 22/3 Lajpat Nagar Chowk, Lucknow, and registered Office-68/5339, Regarpura Karol Bagh, New Delhi, in Thana Kotwali, Ballia. **The True Copies of the Action taken against the personnel are annexed herewith as Annexure No-1.**

6. That, there are 3 major issues involved-
   i. Solid Waste Management
   ii. Management of legacy (solid) waste
   iii. Sewage management

(A) SOLID WASTE MANAGEMENT

Under the J.N.N.U.R.M. program and U.I.S.S.M.T scheme approval of Solid Waste Management Plant Capacity of 40 TPD in Ballia district was provided. The sanctioned cost of the scheme was Rs.681.66 lakh. Due to a dispute with operator, the work was stopped after completion of 70 percent work in 2011. At present the proceedings are prevalent in the commercial court. The trial run was being done by the Nagar Palika Parishad, Ballia, after completing the remaining construction

works, after obtaining the approval of Rs. 361.80 lakhs from the 15th Finance Commission.

Whereas, as per the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi,dated 30.05.2023 passed in OA No.405/2023 Dharmendra Kumar Singh vs. State of U.P. , the disposal of garbage by the plant is currently stopped for solid waste coming out of the municipal area.

It is to inform that the Surhatal Bird Sanctuary was declared vide Notification dated 27.03.1991 under the provisions of Section 18(1) of the Wildlife Protection Act, 1972 and later on vide Notification dated 10.12.2002 it was named as "Jai Prakash Narayan Surhatal Bird Sanctuary". And Under Clause 5 and 14 of sub-section-3 and section-2 and sub-section-1 of the Environment Act 1986, a radius of 01 km from the boundary of 'Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surhatal bird sanctuary)' was declared as eco-sensitive zone.

In relation to the above, it is also important to mention here that as per the report dated 26.04.2023 of Assistant Consolidation Officer, Ballia, the distance of Solid Waste Management Plant from Surhatal Watch Tower is about 1280 metersi.e not within the 1 KM radius of the Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary. **(Copy of the Report is annexed herewith as –Annexure NO - 2)**

(B) LEGACY (SOLID) WASTE MANAGEMENT

M/s B.V.G. India Ltd., Pune Maharashtra was allotted the work of Rs. 1519.72 lakh by contract number 69/G.M/2021-22 dated 07.01.2022 for the disposal of legacy waste at Mahabir Ghat under Nagar Palika Parishad. The date of commencement of work was fixed as 05.01.2022 and the date of completion of work as 04.12.2022. Since the dumped legacy waste was on private lands, there was a public agitation by the local public which delayed the installation of machinery. On 17.03.2023, a private land about 100 meters away from the main site was contracted by the Nagar Palika Parishad, Ballia and B.V.G. India Ltd., for the installation of trommel and other machineries etc. after which the work was commenced from 20.03.2023.

Due to lack of electricity connection, the work of disposal of about 1200 tonnes of legacy waste per day is being done through two set of trommel by the generator. At present 96,740.00 MT legacy waste has been remediated against 3,37,714.50 MT legacy waste. However due to monsoons, the remediation work of Legacy Waste has been affected. The electric connection is being arranged at the work site by the Nagar Palika Parishad, Ballia. After getting electric connection, the remediation process of legacy waste will be augmented by installing one more trommel. As per the compliance of previous order the work of disposal of legacy waste is expected to be completed by February, 2024. **(Photographs of Legacy waste management plant are annexed herewith as Annexure No- 3)**

(C) SEWAGE MANAGEMENT

That in the year 2005, under the state sector program (Rs. 52.22 crore) in the city zone and in the year 2006 under the UIDSSMT programfor the civil line zone (Rs. 44.72 crore) was approved. Both the above works were allotted to M/s Jyoti Buildtech Pvt. Ltd. but due to non-availability of land in both the zones, the proposed works of sewage treatment plant (STP) could not be implemented. Presently the physical progress of the scheme is 70%. The Nagar Palika Parishad, Ballia Sewerage reorganization plan and Nagar Palika Parishad, Ballia restoration of work as mentioned above are proposed to complete the incomplete work.

After the implementation of these projects, utilization of 57.218 km sewer line, 11 km rising main, pumping station and related works will be possible and the collected sewage shall be treated through the STP. The above-mentioned projects have been approved.

7. In view of the above action taken plan by the department, it is to submit that the direction given in the said Order is being complied with and shall be maintained to avoid any unpleasant event as reported by the applicant. Further, the proposed work as per the directions of the court shall be commenced at the earliest on a priority basis. Until the other facility requires functional infrastructures, the department will ensure to make interim measures for the said issue.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

i. Take the above averments on record as the actions taken by the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh.

ii. Pass any such other order as may deem.

Respondent

THROUGH

PRIYANKA SWAMI

Standing counsel for state of UP

Chamber no. 04, Shivalik Tower,

Kaushambi, Ghaziabad

Date - 11/09/2023

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI ORIGINAL

APPLICATION NO.370/2021

IN THE MATTER OF:

MANOJ KUMAR RAI **...Applicant**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...Respondent(s)**

AFFIDAVIT

Affidavit of Amrit Abhijat, aged about 55 years, S/o Shri K.C. Jaiswal, R/o B-603, CSI Tower, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Pin code- 226010, presently posted as Principal Secretary, Urban Development Department, U.P., Lucknow.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this 11th. day of September, 2023, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Annexure – 01

Anne. 01

Encl. No. 1

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)
422
Cnlu-10
20
25.04.23

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): बलिया P.S. (थाना): कोतवाली Year (वर्ष): 2023
FIR No. (प्र.सू.रि. 0208 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 20/04/2023 22:23 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	409

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): Date From (दिनांक से Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 20/04/2023 Time (समय): 22:23 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 057 Date & Time (दिनांक और समय): 20/04/2023 22:23 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): अंकित श्रीवास्तव
(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री गिरीश चन्द श्रीवास्तव
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2005 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अधिशासी अभियन्ता जल निगम,कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	निराला नगर,कोतवाली नगर,रायबरेली,उत्तर प्रदेश,भारत

DA/Cr/nc

27/4/23
27.4.23
27/4/23

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):91-9473942710

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री कायम हुसैन		पिता का नाम : स्व0 मुशव्विर हुसैन	1. सेवानिवृत सहायक अभियन्ता , कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाईप शुदा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण, खण्ड, बलिया । पत्रांक 433/ कार्य-10/10 दिनांक 19.04.023 सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, बलिया । विषय: श्री कायम हुसैन, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता / कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के सम्बन्ध में । महोदय, उपरोक्त विषयक उपसचिव (शिकायत), प्रधान कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 265/007-2020-02-0053 (वाराक्षे) दिनांक 19.04.2023 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस खण्ड कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता के पद कार्यरत रहते हुये श्री कायम हुसैन, तत्कालीन सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्यो एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक एव समर्पित भावना से निर्वहन न करने बलिया सीवरेज सिटी जोन तथा बलिया सीवरेज सिविल लाइन जोन में स्वीकृत कराये बिना मनमाने ढंग से निर्माण कार्य कराकर रू0-942.70 लाख की धनराशि अनियमित भुगतान कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुचाने के कारण इसकी जच उप्र जल निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा गठित जच समीति में सही पायी गई। तत्पश्चात उप्र जल निगम (नगरीय) मुख्यालय द्वारा श्री कायम हुसैन, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता / कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) । अत. प्रश्नगत सन्दर्भ में श्री कायम हुसैन पिता स्व मुशव्विर हुसैनएम0आई0जी- 677, आवास विकास कालोनी - 1, डीएमरोड आवास विकास कालोनी-1बुलदंशहर, उ0प्र0-203001 सेवानिवृत सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वसूली हेतु प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक परिपालनार्थ कार्यवाही करने का कष्ट करें । संलग्नक- उपरोक्तानुसार,भवदीय हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय (अंकुर श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता S./. श्री गिरीश चन्द श्रीवास्तव निराला नगर, रायबरेली थाना- कोतवाली रायबरेली मो0 9473942710 दि0 20.04.2023 पृस: दिनांक: प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 1 - निजी सचिव प्रवन्ध निदेशक महोदय, उप्र जल निगम (नगरीय), लखनऊ। 2 - संयुक्त प्रवन्ध निदेशक (नागर / प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ । 3 - सचिव प्रशासन, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ । 4 - मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ। 5 मुख्य अभियन्ता (अ - 2-1), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ । 6 मुख्य अभियन्ता (प्रयाक्षे), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज 7- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आजमगढ । 8- जिलाधिकारी महोदय, बलिया । 9- मुख्य विकास अधिकारी, बलिया। 10- पुलिस अधीक्षक, बलिया । 11 - श्री अनुभव कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ की एफ0आई0आर0 एवं वसूली की कारवाई व्यक्तिगत समन्वय कराते हुए कराना सुनिश्चित करे । अधिशासी अभियन्ता नोट- एफआईआर लेखक- का0मु0 अरविन्द कुमार

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): GYAN CHAND SHUKLA Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(972765176 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer In charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Rajeev Singh
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012320035

Encl. No. 2

E-mail:-upjn.ballia@gmail.com
Mob:-9473942710

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बलिया।

पत्रांक 509 / कार्य-10 /27 दिनांक 25.05.23

वसूली प्रमाण–पत्र

एतद् द्वारा मुख्य अभियन्ता(अ–2), प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 26/007–2018–02–0029(वारा0क्षे0) दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री कायम हुसैन, सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बलिया की तैनाती के दौरान दिनांक 24.08.2017 से 30.06.2020 के मध्य सीवरेज योजना के अन्तर्गत धनराशि से डायवर्जन करके रू0 928.88 लाख तथा सीवरेज सीटी जोन पाईप लाइन के टेस्टिंग में रू0 13.82 लाख का अनियमित तरीके से किये गये भुगतान से विभाग को हुई आर्थिक क्षति कुल रू0 942.70 लाख (नौ सौ बयालिस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) के दोषी पाये गये है, उक्त अनियमित भुगतान की वसूली हेतु उप सचिव (शिकायत), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ के पत्रांक 268/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0) दिनांक 19.04.2023 द्वारा आरोपित आरोप में अनियमित भुगतान से हुई कुल आर्थिक क्षति की धनराशि रू0 942.70 लाख की वसूली इनके देयकों तथा अवशेष की वसूली न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत इनके अचल सम्पति से भू–राजस्व (आर0सी0के माध्यम से) की भाँति वसूली करने हेतु वसूली प्रमाण–पत्र(आर0सी0) जारी किया जाता है।

भवदीय

(अंकुर श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 509 / कार्य-10 /27 दिनांक: 25.05.2023

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(नागर/प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (अ–2), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (प्रया0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), 6–दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
5. उप सचिव (शिकायत), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आजमगढ़।
7. जिलाधिकारी, बलिया/गौतमबुद्धनगर।
8. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), बलिया/गौतमबुद्धनगर।

अधिशासी अभियन्ता

Encl. No. 03

प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

[illegible]

पत्रांक– [illegible]66/007–2020–02–0053(पारा०डी०)

गोपनीय/स्पीडपोस्ट/ई–मेल
दिनांक [illegible] 2023

396
कार्य–10
13
20.04.023

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
बलिया।

विषय– श्री कायम हुसैन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 11.01.2023 के सापेक्ष वसूली न्यायिक प्रक्रिया से किये जाने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–675/007–2018–02–0029(पारा०डी०) दिनांक 26.04.2019 द्वारा संस्थित जांच में जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या एवं प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर श्री कायम हुसैन तत्कालीन सहायक अभियंता/कार्यवाहक अधिशासी अभियंता पर आरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप ज्ञाप सं0 26 दिनांक 11.01.2023 द्वारा इनके कृत्यों से विभाग को हुई आर्थिक क्षति रू0 13.82 लाख + रू0 928.88 लाख अर्थात् कुल रू0 942.7 लाख (रुपये नौ करोड़ बयालिस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की वसूली इनके सेवानिवृत्तिक देयकों से किये जाने तथा यदि सेवानिवृत्तिक देयकों से उक्त वसूली पूर्ण नहीं हो पाती है तो अवशेष वसूली न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संबंधित खण्ड कार्यालय द्वारा किये जाने के आदेश पारित करते हुए उक्त पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन वर्तमान तक श्री कायम हुसैन से वसूल की गयी धनराशि की स्थिति शून्य है।

उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में मुझे आपसे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि उपरोक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से भू–राजस्व (आर०सी० के माध्यम से) के रूप में करायी जाय। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

DA/HC
EE

ATV...–11

(आर०के० गुप्ता)
उप सचिव(शिकायत)

Encl. No. 4

N.C.R.B (एन सी आर बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 द.प्र.सं. के तहत)

Year (वर्ष): 2023

1. District (जिला): बलिया
   P.S. (थाना): कोतवाली
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0447
   Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 21/08/2023 14:44 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द वि 1860	409

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन):
   Date From (दिनांक से
   Date To (दिनांक तक):
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से):
   Time To (समय तक):
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 21/08/2023
   Time (समय): 14:44 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 037
   Date & Time (दिनांक और समय): 21/08/2023 14:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): अ0ज्ञा0
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम):
   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): अंकुर श्रीवास्तव
   (b) Father's Name (पिता का नाम) : गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983
   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यू.आई.डी. सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अधिशासी अभियंता ,कार्यालय उ0प्र0 जल निगम बलिया ,कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	निराला नगर ,कोतवाली नगर,रायबरेली,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):91-9473942710

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री फणीन्द्र राय			1. सेवानिवृत अधिशासी अभियंता , कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
2	कमलेश सिंह			1. सेवानिवृत अधिशासी अभियंता, कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
3	एस0एन0 राय			1. सेवानिवृत सहायक अभियंता , कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
4	नीरज कुमार पाण्डेय			1. जूनियर इंजीनियर आजमगढ़,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
5	अशोक कुमार श्रीवास्तव			1. अधिशासी अभियंता ,उ0प्र0 जल निगम नगरीय बलिया ,कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु मे):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.-प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ प्र जल निगम (नगरीय), बलिया।पत्रांक: 51/ गो सामान्य /04दिनांक: 19.8.2023 सेवा में,प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली सदर बलिया । विषय:- जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद्, क्षेत्र मे जलनिगम निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा वर्ष 2006 से कियान्वित की जा रही सीवर लाईन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये उत्तरदायी कार्मिको के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।महोदय, उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (कार्मिक) प्रधान कार्यालय उ0प्र0 जल निगम नगरीय लखनऊ के पत्रांक 649/007-2020-02-0053 (ग्रा0से0) दिनांक 18.08.2023 द्वारा जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जल निगम निर्माण खण्ड बलिया द्वारा वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही सीवर लाईन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व कार्मिको के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त अनियमितता में अपव्यय की गई धनराशि नीचे अंकित तालिका उनके नाम के सम्मुख अंकित है सूच्य है कि नगर पालिका परिषद बलिया में वर्ष 2006 मे सीवरेज की 02 योजनाएं संचालित की गयी जिनका विवरण निम्नवत है 1. बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन योजना: कार्यक्रम--राज्य सेक्टर सिवरेज - स्वीकृत लागत (मूल / पुनरीक्षित) - 27.90 /52.2272 करोड़ 2.स्वीकृति का संदर्भ -11 /2005 एवं 09/2007 अवमुक्त -रू0 52.2272 करोड़ रू0, व्यय10/2018- 49.1038 करोड़ , कार्य आरम्भ का दिनांक- 26,04.2006, 2. बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोन - कार्यक्रम - यूआईडीएसएसएमटी , स्वीकृत लागत (मूल / पुनरीक्षित) -रू0 44.7231 / 52.2272 करोड़स्वीकृति का संदर्भ- 10.11.2006 , अवमुक्त - रू0 44.6902 करोड़- कार्य आरम्भ का दिनांक -31.03.2018, कार्य पूर्ण करने का दिनाक- 31.03.2018 (ii) उल्लेखनीय है कि प्रकरण की जाच टीएसी द्वारा करायी गयी। टीएसी कीजाँच आख्या दिनांक 17.11.2018 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन हेतु रू0 100.00 करोड़ व्यय करने एवं 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त भी योजना पूर्ण नहीं हो सकी। बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोन के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, बलिया के पत्र दिनांक 18.08.2019 द्वारा आईआईटी, बीएचयू के निर्देशानुसार रीइन्फोर्समेंट की स्पेसिंग सही करने हेतु समस्त एसटीपी को ध्वस्त करते हुए पुनः कार्य करने हेतु संबंधित फर्म ज्योति बिल्डटेक प्रा0लि0 को निर्देशित किया गया किन्तु फर्म द्वारा तदानुसार कार्यवाही नहीं की गयी आई0आई0टी0बी0एच0यू0 की रिपोर्ट के उपरान्त भी खण्ड स्तर पर तत्समय कार्यरत

अभियन्ताओं द्वारा कार्य कराये गये एवं भुगतान किया गया जो कि अपव्यय की श्रेणी में आता है। जाँच समिति की जाँच आख्या / उपलब्ध अभिलेखो एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्माणाधीन सीवर लाईन कार्यों में अनियमितता बरतने अधोमानक कार्य कराने मनमाने ढंग से भुगतान की संस्तुति करने / भुगतान करने, सीवरेज योजना जनोपयोगी न होने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्समय तैनात निम्नलिखित अभियन्ताओ / कार्मिको के विरुद्ध सरकारी सेवकअनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप प निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जाँच कार्यवाही संस्थित की गयी। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन एवं उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अन्तर्गत अभियन्ताओं के द्वारा कारित वित्तीय क्षति का विवरण निम्नवत है- क0सं0 , कार्मिक का नाम- पद नाम - कार्यरत अवधि -जल निगम विभाजन के उपरान्त कर्मियो कि स्थिति - जाँच संस्थिति किये जाने वाले संदर्भ - अद्यतन स्थिति 01 - श्री फणीन्द्र राय अधिशासी अभियन्ता वर्तमान में सेवानिवृत्त- 25.10.2003 से 9.09.2011 एवं 18.11.2012 से 04.01.2016 सहा0अभि0) तथा 01.04.2016 30.08.2016 से एवं 04.10.2016 से 24.07.2017 से नि0 तिथि 31.07.2022 से नगरीय जाप सं0 151 दिनांक 21.03.2022 - 1. यूआईडीएसएस एमटी कार्यक्रम के अधीन कार्मिक के कृत्यों से कुल रु 95539407.50 की वित्तीय हानि 2. राज्य सेक्टर सीवरेज कार्यक्रम के अधीन कार्मिक के कृत्यों से कुल रू0913850.00 की वित्तीय हानि 01. श्री कमलेश सिंह अधिशाशी अभियन्ता /वर्तमान मे सेवानिवृत 18.12.2017 से 14.03.2018 सहा0 अभि0) सेवानिवृत्त 31.01.2022 नगरीय- ज्ञाप सं0 329 दिनांक 15.03.2022 1. यूआईडीएसएस एमटी कार्यक्रम के अधीन कार्मिक के कृत्यों से कुल रु 725.33 लाख की वित्तीय हानि 03. श्री एस0एन0 राय सहायक अभियन्ता वर्तमान में सेवानिवृत्ते 01.09.2014 से 31.05.2015 एवं 01.06.2018 से 31.01.2023 सेवानिवृत्त 31.01.2022, नगरीय- ज्ञाप सं0 145 दिनांक 15.03.2022 - 1. यूआईडीएसएस एमटी कार्यक्रम की जाँच आख्या प्राप्त प्रकरण परीक्षणाधीन2 राज्य सेक्टर सीवरेज कार्यक्रम के अधीन कार्मिक के कृत्यों से कुल रु013.82 लाखकी वित्तीय हानि 04. श्री नीरज कुमार पाण्डेय- जूनियर इंजीनियर आजमगढ़- 31 10.13 से 26.08.2019 तक नगरीय- ज्ञाप सं0 145 दिनांक 15.03.2022 यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम की जाँच आख्या प्राप्त प्रकरण परीक्षणाधीन . 05..श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव - अधिशासी अभियन्ता / वर्तमान में सेवानिवृत्त 31.03.2016 19.12.2009 से 15.02.2012 तक नगरीय- दिनांक 31.03.2016 क सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सी0एस0आर0के नियम 351 (ए0) के अधीन विभागीय कार्यवाही संसिति नहीं की जा सकी अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तालिका में लोक कार्मिक सेवको के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एफ0आई0आर0 की सत्यप्रति प्रति तत्काल इस कार्यालय को देने का कष्ट करें। भवदीय, हस्ताक्षर अपठनीय (अंकुर श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- 1. मुख्य अभियन्ता, (प्रयागराज क्षेत्र) उप्र जल निगम (नगरीय) प्रयागराज। 2. अधीक्षण अभियन्ता, (शिकायत) प्रधान कार्यालय उप्र जल निगम (नगरीय) लखनऊ। 3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उप्र जल निगम (नगरीय) आजमगढ़। अधिशासी अभियन्ता नोट- एफ.आई.आर. लेखक का.मु. राहुल कुमार थाना कोतवाली बलिया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

or

(1) Registered the case and took up the investigation:

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Surya Nath Yadav Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(890894417 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / Informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

N.C.R.B. I.I.F.-I

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Rajeev Singh
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012320035

Encl. No. 5

270

मु 8-05-17

एजेण्डा नोट

जनपद बलिया के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में की गयी अनियमितताओं के दृष्टिगत श्री फणीन्द्र राय, अधिशासी अभियंता के विरूद्ध सेवाकाल में संस्थित अनुशासनिक जांच प्रकरण को सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) में प्रत्यावर्तित किये जाने एवं गुण–दोष के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता के पद तैनाती के दौरान श्री फणीन्द्र राय, अधिशासी अभियंता द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, जनपद बलिया के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में अनियमितता करने, अधोमानक कार्य कराने, मनमाने ढंग से भुगतान के लिए संस्तुति/भुगतान करने, सीवरेज योजना लाभकारी न होने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों/भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने आदि तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या–151/007–2020–02– 0053(वारा0क्षे0) दिनांक 21.03.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु मुख्य अभियंता (प्रयाग0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी के पत्रांक–477/जांच बलिया श्री फणीन्द्र राय(जी0एम0)/11 दिनांक 17.12.2022 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में श्री फणीन्द्र राय, अधिशासी अभियंता के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की पुष्टि नहीं की गयी है, तथापि अपचारी को निर्गत आरोप पत्र, इसके सापेक्ष अपचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षात्मक कथन, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त यह परिलक्षित हुआ है कि कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 25.10.2003 से 19.09.2011 तक एवं दिनांक 18.12.2012 से 04.01.2016 तक की तैनाती अवधि में श्री राय द्वारा खण्डान्तर्गत क्रियान्वित नगरपालिका परिषद क्षेत्र के सीवर लाइन के कार्यों पर रू0 97843814.00 का व्यय किया गया। श्री राय द्वारा उक्त खण्ड में अधिशासी अभियंता के पद पर दिनांक 04.01.2016 से 30.08.2016 तक एवं दिनांक 04.10.2016 से 24.07.2018 तक की तैनाती अवधि के दौरान प्रश्नगत योजना के सीवर लाइन के कार्यों पर रू0 408627151.00 का व्यय किया गया। प्रश्नगत योजना पर श्री राय द्वारा कराये गये अधोमानक कार्यों के फलस्वरूप योजना जनोपयोगी नहीं हो सकी तथा विभाग को वित्तीय क्षति हुई है। प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, बलिया के पत्रांक–04/गोपनीय सामान्य/02 दिनांक 29.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार योजनान्तर्गत श्री राय द्वारा सहायक अभियंता के रूप में व्यय की गयी धनराशि रू0 97843814.00 का 35 प्रतिशत अर्थात रू0 34245334.90 एवं अधिशासी अभियंता के रूप में व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 408627151.00 के 15 प्रतिशत अर्थात रू0 61294072.65 की वित्तीय हानि पहुंचाने हेतु अपचारी को उत्तरदायी पाया गया है।

श्री फणीन्द्र राय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के विरूद्ध उनके सेवाकाल में कार्यालय ज्ञाप संख्या–151 दिनांक 21.03.2022 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अधीन विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी। श्री राय दिनांक 31.07.2022 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव इनके विरूद्ध सेवाकाल में संस्थित प्रकरण को निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) का अनुमोदन प्राप्त कर सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) में प्रत्यावर्तित कराने के उपरान्त ही गुण–दोष के आधार पर दण्डादेश निर्गत किया जाना होगा।

उक्त के क्रम में श्री फणीन्द्र राय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है:–

1– श्री फणीन्द्र राय, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के विरूद्ध सेवाकाल में ज्ञाप दिनांक 21.03.2022 द्वारा संस्थित प्रकरण को सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) में प्रत्यावर्तित किया जाना।

2– प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबन्ध निदेशक द्वारा दण्डादेश निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाना।

अधीक्षण अभियंता(शिकायत)
(एस0के0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत)

08/08/2023
प्रशासनिक अधिकारी(शिकायत)
(गणेश कुमार त्रिपाठी)
प्रशासनिक अधिकारी

Encl. No. 06

E-mail:-upjn.ballia@gmail.com
Mob:-9473942710

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बलिया।

पत्रांकः 813 / कार्य–10 / 45 दिनांकः–21.08.2023

वसूली प्रमाण–पत्र

एतद् द्वारा मुख्य अभियन्ता (कार्मिक), प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक सं0 649/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0) दिनांक 18.08.2023 द्वारा जॉच में श्री कमलेश सिंह(पता–143 लोहिया बिहार, सेक्टर–9 इन्दिरा नगर, लखनऊ, पिन कोड़–226016) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में अपनी तैनाती के दौरान दिनांक 18.12.2017 से 14.03.2018 के मध्य सीवरेज योजना (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) के अन्तर्गत रू0 725.33 लाख (सात करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार मात्र) का अनियमित भुगतान करके वित्तीय हानि पहुचाने के दोषी पाये गये है। उक्त अनियमित भुगतान की वसूली हेतु मुख्य अभियन्ता (कार्मिक), प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 649/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0) दिनांक 18.08.2023 द्वारा आरोपित आरोप में अनियमित भुगतान से हुई कुल आर्थिक क्षति की धनराशि रू0 725.33 लाख की वसूली इनके देयकों तथा अवशेष की वसूली न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत इनके अचल सम्पति से भू–राजस्व (आर0सी0के माध्यम से) की भॉति वसूली करने हेतु वसूली प्रमाण–पत्र(आर0सी0) जारी किया जाता है।

(अंकुर श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

E-mail- comupjn.up@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272,
Fax- 0522-2622389

पत्रांक- 326 /007-2020-02-0053(वारा0क्षे0) दिनांक: 11.05 2023

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में अधिशासी अभियंता के पद तैनाती के दौरान श्री कमलेश सिंह, प्रभारी अधिशासी अभियंता/वर्तमान में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, जनपद बलिया के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यो में अनियमितता करने, अधोमानक कार्य कराने, मनमाने ढंग से भुगतान करने, सीवरेज योजना लाभकारी न होने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों/भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने आदि प्रतिकूल तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) निदेशक मण्डल की द्वितीय बैठक के मद संख्या-02.18 पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-329/007-2020-02-0053(वारा0क्षे0) दिनांक 28.05.2022 द्वारा श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम-351(ए) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच मुख्य अभियंता (प्रयाग0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज को पदेन जांच अधिकारी नामित कर सम्पन्न करायी गयी।

उक्त जांच के अनुक्रम में जांच अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 250/जांच बलिया/6 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अपचारी को आरोप पत्र निर्गत किया गया, जिसमें निम्नानुसार आरोपित किया गया:-

जिलाधिकारी, बलिया के पत्रांक-721/स्था0नि0लि0, दिनांक 24.09.2019 द्वारा प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में जल निगम मुख्यालय स्थित टी0ए0सी0 जॉच दल द्वारा जलपद बलिया के कार्यो की दिनांक 17.11.2019 से दिनांक 21.11.2019 तक स्थलीय जांच की गयी। जांचोपरांत टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा बलिया नगर में निर्माणाधीन सीवर योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य अधोमानक पाये गये। योजना जनोपयोगी नहीं है। निर्माण कार्य हेतु किये गये भुगतान अपव्यय की श्रेणी में पाये गये, जिसकी वसूली किये जाने की संस्तुति की गयी है। विवरण के अनुसार अपचारी द्वारा बलिया सीवरेज सिविल लाइन जोन के कार्यो हेतु रू0 725.33 लाख के अनियमित भुगतान किये गये है, जो विभाग की आर्थिक क्षति है। उक्तानुसार दायित्वों का अनुपालन न करने, अधोमानक कार्य कराने के उपरांत भी बलिया सिटी जोन के कार्यो के सापेक्ष रू0 725.33 लाख का अनियमित भुगतान करने, नियम विरूद्ध कार्य करने, योजना के कार्य अपूर्ण रखने, विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने, मनमाने ढंग से भुगतान करने, योजना के जनोपयोगी न होने, विभाग की छवि धूमिल करने हेतु अपचारी को आरोपित किया गया।

उक्त आरोप के समर्थन में टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा प्रेषित की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 तथा लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सामग्री की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 की छायाप्रति एवं अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया द्वारा जांच दल को भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गये विवरण की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अधिरोपित आरोपों के बचाव में अपचारी द्वारा अपना प्रत्यावेदन पत्रांक 2/सीवर जांच बलिया दिनांक 20.08.2022 द्वारा जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसमें निम्नानुसार तथ्य अभिलिखित किये गये हैं-

बलिया नगर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के SBR(Sequetial batch reactor), CCT(Combined Chlorination TanK), BSS(Biological Sludge Sump) के राफ्ट का एम 30 Compressive Strenth का कार्य कराया गया है जो प्राविधानित था। राफ्ट के कार्य डिजाइन के अनुसार है जो उचित एवं जनोपयोगी है। सही एवं उपयोगी कार्य का अनुबन्धित धनराशि के अन्तर्गत देयता के अनुसार भुगतान किया गया है। Proper कार्य का अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार भुगतान करना आर्थिक क्षति के श्रेणी में नहीं आता है अर्थात कराये गये कार्य उपयोगी, सुदृढ़ एवं डिजाइन के अनुसार है।

अपचारी का यह भी कथन है कि उनके द्वारा दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कराया गया तथा नियम विरूद्ध कोई कार्य नहीं किया गया है छोटे से कार्यकाल में योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने का भरपूर प्रयास किया गया था। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। अपचारी निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में अधिशासी अभियन्ता के पद पर दिनांक 18.12.2017 को कार्यभार ग्रहण किया था। नियमित अधिशासी अभियन्ता की दिनांक 25.02.2018 को नियुक्ति के बाद वह कार्यमुक्त हो गये। अधिशासी अभियन्ता के पद पर कुल दो माह सात दिन (69 दिन) खण्ड में कार्यरत रहे। इस अवधि में पूर्व से कराये जा रहे कार्यो को आगे बढ़ाते हुए SBR(Sequetial batch reactor), CCT(Combined Chlorination TanK), BSS(Biological Sludge Sump) के Raft का कार्य कराया गया।

उपरोक्त आरोपों के उत्तरालेख हेतु पत्र सं0 01/सीवर जांच बलिया/दिनांक 28.06.2022 द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जांच अधिकारी के पत्र सं0-250/जांच बलिया/6 दिनांक 19.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में पृष्ठ सं0 169 पर IIT-BHU Rebound hammer test की जांच रिपोर्ट संलग्न की गयी है, जिसमें Wall & Raft (SBR,CCT,BSS) के Stength का परीक्षण Rebound hammer test से की गयी है। पृष्ठ सं0 169 पर कमशः कमांक 11, 19, 20, 21 एवं 23 पर Reft के Rebound hammer test का परिणाम अंकित है; कमांक 11 पर Compressive Strenth $34.4N/mm^2$, कमांक 19 पर $28.1N/mm^2$, कमांक 20 पर $34.4N/mm^2$, कमांक 21 पर $32.3N/mm^2$, एवं कमांक 23 पर $28.1N/mm^2$, अंकित है।(संलग्न-2) Is Code- 10262-2019 के पृष्ठ संख्या 2 एवं 3 के कम संख्या 4.2 में Targeted Stength का विवरण दिया गया है। M-30 के लिए Targeted Stength $38.25N/mm^2$, होनी चाहिए, तथा Targeted Stength का Working Stength $30N/mm^2$, है अर्थात कार्य करने के बाद Compressive Strenth $30N/mm^2$, होनी

चाहिए Rebound hammer test (Reft) के बाद प्राप्त परिणाम (34.4+28.1+34 .4+ 32.3+28.1)/5 =31.46. mm² प्राप्त हुई है जो Working Stength से ज्यादा है, जिसकी पुष्टि Cube Test Report से भी की जा सकती है।

Is Code- 13311- Part-2-1992 Rebound hammer test (Reft) के पृष्ठ सं0–3 बिन्दु सं0–8 इस तथ्य का उल्लेख है कि "As such the estimation of stength of concrete by rebound hammer method coannot bbe held to be very accurate and probable accuracy of prediction of concrete stength in a structure is ±25 precent. If the relation ship between rebound index and compressive stength can be checked by tests on core samples obtained from the structure or standard specimens made with the same concrete materials and mix propotion, then the accuracy of results and confidence thereon are greatly increased,"

Is Code- 13311- Part-2-1992 (Rebound hammer test) के बिन्दु एवं 6 में प्रकिया का उल्लेख किया गया है। टेस्टिंग के दौरान यदि बिन्दु सं0 6 को ध्यान में नहीं रखा गया हो तो परिणाम प्रभावित होंगे। इसलिए निर्माण खण्ड, उ0प्र. जल निगम, बलिया के जिन अधिकारियों के समक्ष Rebound hammer test की प्रकिया की गयी है उनसे Cross Examine करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनकी उपलब्धता का समय मांगा गया, ताकि वह Cross Examine कर सके और Rebound hammer test के परिणाम पर पुनः टिप्पणी दे सके, क्योंकि Rebound hammer test करते समय फर्श की सरफेस पर कार्योनिरियस मैटीरियल, धूल, मिट्टी, काई एवं रफ सरफेस आदि पर Rebound hammer test की गुणता परिणाम प्रभावित होते है। जैसा कि Is Code- 13311- Part-2-1992 पेज नं0 2 एवं 3 में उल्लिखित है। इसके साथ ही गुणता के बेहतर परिणाम के लिये राफ्ट के कोर सेक्शन से मिक्स कंक्रीट की जांच (मिक्स मैटेरियल की जांच) कराना भी आवश्यक था जो नहीं किया गया है। क्योंकि मिक्स की जांच से पता चलता है कि मिक्स डिजाइन के अनुसार M30 है अथवा नहीं।

टी0ए0सी0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ की जांच रिपोर्ट में एस0टी0पी0 के पैसेज चैनेज से आर0सी0सी0, कांक्रीट के नमूने को केन्द्रीय अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ से जांच कराया गया है जो उनके द्वारा कराये गये कार्यो से सम्बन्धित नहीं है। अतः इस कार्य की गुणता देना उचित नही है क्योकि एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है, जिसकी पुष्टि कार्यालय अभिलेख एवं माप पुस्तिकाओं से की जा सकती है।

उनके द्वारा कराये गये राफ्ट के कार्य पर जल निगम के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कभी भी कोई विपरीत टिप्पणी मेरे कार्यकाल में या मेरे कार्यकाल के पश्चात भी नहीं की गयी है मुख्य अभियन्ता (वा0क्षे0) द्वारा की गयी टिप्पणी उनके कार्यकाल के पश्चात की है। टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा गुणता के सम्बन्ध में पैसेज चैनल के परिणाम का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया गया है तथा आरोप के संलग्नक में अपचारी को प्राप्त हुआ है, जो उचित नहीं है क्योंकि पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया। उनके द्वारा मात्र राफ्ट का कार्य कराया गया है जो मानक के अनुसार एवं उपयोगी है तथा किसी भी दशा में डिमोलिश (ध्वस्त) करने योग्य नहीं है, जिसकी पुष्टि आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 की **Rebound hammer test report से भी होती है। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 द्वारा राफ्ट के कार्यों की गुणता पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है अर्थात राफ्ट के कार्य ध्वस्त करने लायक नहीं है क्यों कि गुणता M30 है,** जो कराया जाना था।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर लगाये गये आरोप मनगढ़ंत, आधारहीन, तथ्यहीन तथा सच्चाई से परे इंगित किये गये तथा इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। कराये गये कार्यो की गुणता डिजाइन के अनुरूप है एवं सही कार्यों का सही भुगतान किये जाने से अवगत कराया गया।

जांच अधिकारी पत्रांक–476/जांच बलिया, श्री कमलेश सिंह, अधि0अभि0/10 दिनांक 17.12.2022 द्वारा श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता पर लगाये गये आरोपों, इसके सापेक्ष प्राप्त प्रतिरक्षात्मक कथन एवं प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर जांच आख्या प्रस्तुत की गयी, जो निम्नानुसार हैः–

1. बलिया सीवरेज योजना के अन्तर्गत सिटी जोन में पूर्ण किये गये कार्यो को नगर पालिका परिषद बलिया की योजना कियाशील न होने की स्थिति में हस्तान्तरित कर दिया है। योजना के सिटी जोन में निहोरा नगर के पास कटहल नाले में सीवर लाइन का आउटलेट दिया गया है एवं बेदुआ नामक स्थान पर एस0पी0एस0 व कॉमन मैनहोल बनाया गया है। एस0पी0एस0 कियाशील नहीं है बनाये गये कॉमन मैनहोल को आपरेट कर सीवर को कटहल नाला में डाला जा सकता है, परन्तु अवगत कराया गया है कि एस0पी0एस0 पर मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश है परन्तु स्थगन आदेश से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें गये हैं। कॉमन मैनहोल सड़क के दूसरी तरफ होने के कारण स्थगन आदेश कॉन मैनहोल पर लागू नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर कोई भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है।
2. सिविल लाइन जोन एंव सिटी जोन में बिछाये गये सीवर लाइन को कई स्थानों पर मैनहोल खुलवाकर देखने पर मेन लाइन में पानी भरा हुआ पाया गया इसका कारण स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों द्वारा अपने गृह सीवर संयोजन किया जाना है अथवा सीवर लाइन पड़े हुए लगभग 7–8 वर्ष हो जाने के कारण वर्षा जल का भी सीवर में पहुँच जाना है। सिटी जोन के कॉन मैनहोल को यदि रेगुलेट कर दिया जाये तो सिटी जोन का सीवर कटहल नाले में पहुँचाया जा सकता है।
3. सिविल लाइन जोन की सीवर परियोजना के उपलब्ध कराये गये कम्पलीशन प्लान के अनुसार योजना में कुल 3914 मी0 सीवर बिछाया जाना अवशेष दर्शाया गया है जिसमें 800 mm dia के 85 मी, 500 mm dia के 537 मी0, 400 के mm dia के 200 मी, 250 mm dia के 1348 मी0, 200 mm dia के 1241 मी0 एवं 150 mm dia के 503 मी0 सीवर लाइन सम्मिलित है। उपरोक्त में से 800 के 85 मी, 500 mm dia के 537 मी0, 400 के mm dia के 2000 मी0 के सीवर को यदि बिछा दिया जाये तो एरिया में बिछाये गये सीवर लाइन को कनेक्टिविटी मिल जायेगी

जिससे एस0टी0पी0 के निर्माणाधीन रहने की स्थिति में क्षेत्र के सीवर को विद्युत विभाग कार्यालय के पास कटहल नाले में बनाये गये आउटलेट पर सीवर का डिस्पोजल किया जा सकता है परन्तु स्थानीय स्तर पर गैप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

4. इसी तरह सिटी जोन की परियोजना के उपलब्ध कराये गये कम्पलीशन प्लान के अनुसार सीवर लाइन बिछा दी गयी है मात्र नोड सं0 19 से नोड सं0 336 तक राइजिंग मेन बिछाया जाना अवशेष दर्शाया गया है।

5. जनपद बलिया के नगरीय क्षेत्रान्तर्गत प्रविधानित एस0टी0पी0 कार्य हेतु पूर्व में क्रमशः 14 एम0एल0डी0 एवं 5.6 एम0एल0डी0 के दो अलग–अलग एस0टी0पी0 बनाने का प्रविधान किया गया था परन्तु संयुक्त रूप से 19.60 एम0एल0डी0 क्षमता का वर्तमान में एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है। संशोधित डी0पी0आर बनाकर जल निगम मुख्यालय स्तर पर प्रेषित भी की गयी। संशोधित डी0पी0आर0 को संशोधन हेतु खण्ड स्तर पर भेजा गया है परन्तु खण्ड स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके बावजूद दोनों प्राक्कलन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 की क्षमता को जोड़ते हुए एस0टी0पी0 का कार्य कराया जा रहा है, जो गैर तकनीकी कृत्य है।

6. अधोमानक कार्यो के दृष्टिगत जॉच दल द्वारा निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के एस0बी0आर0 के ऑक्सी जोन के रिसीविंग चैनल के वाल से आर0सी0सी0 को तोड़कर कंक्रीट का नमूना लिया गया है जिसे कार्यालय पत्र सं0 25/टी0ए0सी0–2052–0081/2020 दिनांक 09.01.2020 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषणालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को परीक्षण हेतु भेजा गया। प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नमूना परीक्षण में आर0सी0सी0 के कंक्रीट का परीक्षण रिपोर्ट 1:4.62:5.32 (एक अनुपात चार दशमलव छः दो अनुपात पॉच दशमलव तीन दो) पाया गया है, जो सैम्पुल भेजे गए थे वह एम0–30 ग्रेड (1:0.75:1.5 एक अनुपात दशमलव सात पॉच अनुपात एक है, जो सैम्पुल भेजे गए थे वह एम0–30 ग्रेड (1:0.75:1.5, एक अनुपात दशमलव सात पॉच अनुपात एक दशमलव पॉच) जॉच में प्राप्त जॉच रिपोर्ट मानक, एम0–30 के ग्रेड से कॉफी निम्न स्तर का प्राप्त हुआ है अर्थात जॉच में सैम्पुल फेल पाया गया हैं, जिसके फलस्वरूप स्ट्रक्चर को बिना तोड़े कार्य कराया जाना ठीक नहीं है एवं कराये गये समस्त कार्यो की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है, अर्थात कराये गये कार्य अधोमानक हैं।

7. अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़ के कार्यालय पत्रांक 1963/डब्लू–10/96 दिनांक 26.09.2019 में उल्लिखित है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट बी0एच0यू0 द्वारा कार्यो की जॉच कराई गयी जॉच में कुछ कमियॉ पायी गयी जिस पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया द्वारा कार्यवाही करते हुए दोषपूर्ण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया।

कार्यो की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया द्वारा अपने पत्र सं0 1125/कार्य–10/92 दिनॉक 19.08.2019 के माध्यम से मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा0 लि0, करोल बाग, रेगारपुरा, नई दिल्ली को बी0एच0यू0 के निर्देशानुसार कार्य करने के विषयक पत्र लिखा गया है जिसमें उल्लिखित है कि रिइन्फोर्समेन्ट की स्पेसिंग सही करने हेतु समस्त एस0टी0पी0 को ध्वस्त करते हुए पुनः कार्य करना सुनिश्चित करें, किन्तु अपचारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बी0एच0यू0 के निर्देशानुसार एस0टी0पी0 की बेस कन्कीट ध्वस्त करते हुए रिइन्फोर्समेन्ट का कार्य डिजाइन के अनुसार कराने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया के पत्र से भी संयुक्त टी0ए0सी0 जॉच दल के मत, एस0टी0पी0 के कार्यो को ध्वस्त करते हुए आगे का कार्य कराया जाना की पुष्टि भी होती है परन्तु आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 के उपरोक्त रिपोर्ट के उपरान्त भी खण्ड स्तर पर अपचारी एवं अन्य द्वारा रिपोर्ट का संज्ञान न लेकर कार्य कराये गये हैं एवं उनका भुगतान भी किया गया है जो कि अपव्यय की श्रेणी में है अर्थात शासकीय/विभागीय क्षति कारित करने का द्योतक है।

8. स्थलीय जॉच के समय वि0/यॉ0 खण्ड, जनपद मऊ के अधिशासी अभियन्ता, श्री जे0के0 गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु मूल प्राक्कलन एवं अगलग–अलग स्थानों पर एस0टी0पी0 बनाये जाने के दृष्टिगत वि0/यॉ0 से सम्बन्धित सिटी जोन के पम्पिंग प्लान्ट क्रय कर लिये गये हैं, अब जबकि एस0टी0पी0 संयुक्त क्षमता का बनाया जाना है उस स्थिति में पूर्व में क्रय कर लिये गये पम्पिंग प्लांट का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस स्थिति में व्यय की गयी धनराशि जनोपयोगी नहीं हो पायेगा। पम्पिंग प्लान्ट की लाइफ 15 वर्ष आंकी जाती है जब तक एस0टी0पी0 का निर्माण पूरा होगा तब तक यह कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा। इस तरह जिसके द्वारा पम्पिंग प्लान्ट पूर्व में ही क्रय कर लिया गया है, जो अनियमित है। जनपद बलिया के नगरीय क्षेत्रान्तर्गत प्रविधानित एस0टी0पी0 कार्य हेतु पूर्व में क्रमशः 14 एम0 एल0 डी0 एवं 5.6 एम0एल0डी0 के दो अलग–अलग एस0टी0पी0 बनाने का प्राविधान किया गया था परन्तु स्थल न उपलब्ध होने के कारण संयुक्त रूप से 19.60 एम0एल0डी0 क्षमता का वर्तमान में एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है। योजना का संशोधित डी0पी0आर0 बनाकर जल निगम मुख्यालय स्तर पर प्रेषित किया गया था। वहॉ से क्वेरी प्राप्त होने पर संशोधित डी0पी0आर0 संशोधन हेतु खण्ड स्तर पर भेजा गया है परन्तु खण्ड स्तर से निरीक्षण तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बावजूद दोनों प्राक्कलन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 की क्षमता को जोड़ते हुए एस0टी0पी0 का कार्य कराया गया है।

योजनान्तर्गत कराये गये आर0सी0सी0 के कार्यो से नमूने एकत्र कर परीक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किया गया था, परीक्षण में नमूना अधोमानक पाया गया है।

जांच आख्या में निष्कर्षस्वरूप यह अभिलिखित है कि श्री कमलेश सिंह, अधिशासी अभियन्ता(सेवानिवृत्त) के पत्रांक–2/सीवर जांच बलिया/ दिनांक 20.08.2022 द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों के सापेक्ष यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वह दिनांक 18.12.2017 से 14.03.2018 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बलिया में सहायक अभियन्ता/प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे। उक्त अवधि में उनके द्वारा बलिया नगर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के SBR, CCT, BSS के राफ्ट का एम 30 Compressive Strenth का कार्य कराया गया है, जो

प्राविधनित था। राफ्ट के कार्य डिजाइन के अनुसार है, जो उचित एवं जनोपयोगी है। सही एवं उपयोगी का अनुदि धनराशि के अंतर्गत देयता के अनुसार भुगतान किया गया है। दायित्व का निर्वहन करते हुए निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कराया गया। छोटे से कार्यकाल में योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने का भरपूर प्रयास किया गया था, श्री सिंह ने अवगत कराया है कि उनके पास अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार दिनांक 18.12.2017 से 25.02.2018 तक अर्थात कुल 69 दिन का कार्यकाल रहा। इस अवधि में पूर्व से कराये जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए SBR, CCT, BSS के राफ्ट का कार्य कराया गया। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में IIT-BHU की Rebound hammer test की जांच रिपोर्ट संलग्न की गयी है, जिसमें Wall & Raft (SBR,CCT,BSS) के Stength का परीक्षण Rebound hammer test से किया गया है। M-30 के लिए Targeted Stength 38.25N/mm², होनी चाहिए, तथा Targeted Stength का Working Stength 30N/mm², अर्थात कार्य करने के बाद Compressive Strenth 30N/mm², होनी चाहिए Rebound hammer test (Reft) के बाद परिणाम 31.46N/ mm² प्राप्त हुई है जो Working Stength से ज्यादा है। एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है। राफ्ट के कार्य पर जल निगम के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके कार्यलय में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है। टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा गुणता के संबंध में पैसेज चैनल के परिणाम का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया गया है, वह उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है। उनके द्वारा मात्र राफ्ट का कार्य कराया गया है जो मानक के अनुसार एवं उपयोगी है तथा किसी भी दशा में डिमोलिश (ध्वस्त) करने योग्य नहीं है, जिसकी पुष्टि आइ0आई0टी0 बी0एच0यू0 की Rebound hammer test Report से भी होती है। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 द्वारा राफ्ट के कार्यो की गुणता पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है अर्थात राफ्ट के कार्य ध्वस्त करने लायक नहीं है क्योंकि गुणता M-30 है, जो कराया जाना था। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर लगाये गये आरोप मनगढंत, आधारहीन, तथ्यहीन तथा सच्चाई से परे है और लगाये गये आरोप स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अपचारी द्वारा आरोपों के बचाव में दिये गये तथ्य ग्राह्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 26.02.2020 में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि SBR के Anoxi Zone की बाहरी आर0सी0सी0 की दीवार लगभग 01 मी0 की ऊंचाई तक ढाली गयी है। Anoxi Zone के आउटर वाल में बांधी गयी स्टील ड्राइंग–डिजाइन के अनुसार नहीं है। कालम में प्रयोग किये गये स्टील पर मानक के अनुसार कवर नहीं है। Anoxi Zone के Baffle वाल में प्रयुक्त स्टील Horizontal Bar की Anchor कालम के End तक नहीं किया गया है। आउटर वाल के तीसरे कालम में बिना रिंग बॉधे ही कालम की ढलाई की गयी है जो कि आर0सी0सी0 वाल में दिखाई दे रहे है। SBR के लिए बनाये गये बाहरी वाल Baffle वाल को मानकों के अनुरूप में लाना के लिये (जैसे कि स्टील की Spacing ठीक करना, वाल की Vertically ठीक करना, कवर को मानक के अनुरूप में लाना आदि, जमीन के ऊपर के प्रथम Lift को तोड़कर ही ठीक कराया जा सकता है। Anoxi Zone के पूर्वी बाहरी दीवाल पर आर–पार Vertical Crack पाया गया है। अतः बिना तोड़े कार्य को ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है। SBR के Aonxi Zone के West Side में बनी रिसिविंग चैनल की गुणवत्ता खराब है, पुनः तोड़कर बनाये जाने की आवश्यकता है CCT के दक्षिण साइड की दीवाल पर प्लास्टर करके आर0सी0सी0 में आई कमियों को ढकने का प्रयास किया गया है। BSS के उत्तरी साइड में ईट की दीवाल बनी है, जिसे तोड़कर आर0सी0सी0 की ढलाई की जानी है, निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल से आर0सी0सी0 को तोड़कर कंक्रीट का नमूना लेकर केन्द्रीय अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को परीक्षण हेतु भेजा गया। प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मानक एम–30 के ग्रेड से काफी निम्न स्तर का प्राप्त हुआ है अर्थात जांच में सैम्पुल फेल पाया गया है। फलस्वरूप स्ट्रक्चर को बिना तोड़े कार्य कराया जाना ठीक नहीं है। संबंधित अधिकारियों द्वारा भी निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया गया एवं हमेशा गुणवत्ता अधोमानक पायी गयी। अतः स्पष्ट है कि अपचारी द्वारा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किया गया, जिसके लिये सीधे तौर पर अपचारी उत्तरदायी है।

अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 26.09.2019 में यह उल्लिखित किया है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बी0एच0यू0 द्वारा कार्यो की जांच कराई गई, जॉच में कुछ कमियां पायी गयी, जिसका अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा कार्यवाही करते हुए दोषपूर्ण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया। पत्र में यह भी उल्लिखित है कि "संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देश दिये गये है कि वर्तमान सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर अपने द्वारा वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों के लिये ही जिम्मेदार होंगें। पूर्व में निर्मित कार्य हेतु उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं किया जायेगा एवं एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य को तीव्र गति से अच्छी गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश है।" जबकि टी0ए0सी0 जांच दल को अपने निरीक्षण में एस0टी0पी0 के कार्यों में कई तकनीकी कमियॉ परिलक्षित हुई है। अतः निरीक्षण में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत टी0ए0सी0 जांच दल का मत है कि समस्त कमियों को दूर करने के उपरांत आगे का कार्य शुरू किया जाये, चाहे इसके लिये अबतक हुए निर्माण कार्यों को ध्वस्त ही क्यों न करना पड़े। परन्तु आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 के उक्त रिपोर्ट के उपरान्त भी खण्ड स्तर पर, पूर्व एवं वर्तमान में भी कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा रिपोर्ट का संज्ञान न लेकर कार्य कराये गये हैं एवं उनका भुगतान भी किया गया है, जो कि अपव्यय की श्रेणी में है। व्यय की गई धनराशि जनोपयोगी न होने के कारण इसकी वसूली जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों से किये जाने की संस्तुति जांच समिति द्वारा की गयी है।

उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं के परीक्षण के उपरान्त जांच अधिकारी का यह कथन है कि जहां आई0आई0टी0–बी0एच0यू0 द्वारा प्रश्नगत कार्यो की जांच में कुछ कमियां पाई गई, जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यवाही करते हुए दोषपूर्ण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा प्रश्नगत कार्यो पर हुए व्यय के अपव्यय मानते हुए

इसे ध्वस्त करने की संस्तुति की गई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कमलेश सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन न करने, निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के कार्यों में अनियमितता बरतने तथा अधोमानक कार्य कराने के लिए दोषी है।

श्री कमलेश सिंह, निर्माण खण्ड बलिया में दिनांक 18.12.2017 से 25.02.2018 (अधि0अभि0) तक कार्यरत रहे इस अवधि में उक्त परियोजना के कार्य संचालित हुए। जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर श्री कमलेश सिंह प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अन्य कार्मिकों के साथ परियोजना में बरती गयी अनियमितता के लिये उत्तरदायी हैं।

उक्तानुसार जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालय पत्रांक–19 दिनांक 07.01.2023 द्वारा जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या की प्रति श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता को उपलब्ध कराते हुए इस पर उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया और दिनांक 25.01.2023 को लिखित/मौखिक बयान/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। इसके सापेक्ष श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता द्वारा पत्रांक–4/सीवर जांच बलिया/गोपनीय दिनांक 23.01.2023 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अपचारी को निर्गत आरोप पत्र में यह अभिलिखित है कि यदि अपचारी अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसे गवाह का नाम, पता व उसके द्वारा किये जाने वाले सम्भावित बयान के संक्षिप्त विवरण सहित लिखें। यदि वह व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो समय निश्चित करके सूचित करें। इस संबंध में अपचारी का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही वह उक्त निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। अपचारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के बचाव में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये:–

अपचारी द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में अधिशासी अभियन्ता के पद पर दिनांक 18.12.2017 को कार्यभार ग्रहण किया था। नियमित अधिशासी अभियन्ता की दिनांक 25.02.2018 को नियुक्ति के बाद वह कार्यमुक्त हो गये। खण्ड में अपचारी का अधिशासी अभियन्ता के पद पर कुल दो माह सात दिन (69 दिन) का कार्यकाल रहा जबकि बलिया सीवरेज योजना वर्ष 2005–2006 से निर्माणाधीन है। उक्त अवधि में पूर्व से कराये जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए SBR(Scquetial batch reactor), CCT(Combined Chlorination TanK), BSS(Biological Sludge Sump) के Raft के foundation का कार्य अनुबन्ध के प्राविधानों एवं ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराया गया। प्रश्नगत योजना के सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य, आई0पी0एस0 निर्माण का कार्य, एस0टी0पी0 हेतु भूमि अधिग्रहण एवं उसके बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य अपचारी के कार्यकाल से पहले कराये जा चुके थे। जांच आख्या में इन्हीं कार्यों की कमियों का उल्लेख किया गया है। अपचारी के कार्यकाल में कराये गये SBR, CCT, BSS के Raft (foundation) के कार्यों की कमियों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि कार्य मानक के अनुसार ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराया गया है।

अपचारी का यह भी कथन है कि आरोप पत्र पत्रांक–208 दिनांक 15.06.2022 पर उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–1 दिनांक 28.06.2022 द्वारा अभिलेखों की मांग उत्तरालेख हेतु किया गया, जिस पर पत्र संख्या–250 दिनांक 19.07.2022 द्वारा आंशिक अभिलेख उपलब्ध कराये गये, जिसके कम में अपचारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.08.2022 द्वारा आंशिक उत्तरालेख प्रस्तुत किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–380 दिनांक 03.11.2022 द्वारा पुनः अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, बलिया को एस0बी0आर0 के राफ्ट से संबंधित ड्राइंग डिजाइन, माप पुस्तिका की फोटोप्रति पत्र संख्या–1698 दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रदान की गयी, परन्तु सी0सी0टी0 एवं बी0एस0एस0 के राफ्ट की माप पुस्तिका एवं ड्राइंग डिजाइन नहीं दी गयी, साथ ही Rebound Hammer Test की प्रकिया जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष करायी गयी है, उनके नाम एवं उपलब्धता का समय इस आशय से मांगा गया, जिससे जांच अधिकारी के समक्ष जांच प्रकिया कैसे की गयी को Cross Examine किया जा सके, जो प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु मामले की गम्भीरता को देखते हुए अपचारी द्वारा अपने पत्र संख्या–03 दिनांक 03.01.2023 द्वारा अपना उत्तरालेख प्रस्तुत किया गया, जांच अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। अपचारी का कथन है कि उनके द्वारा कराये गये कार्य आज भी मजबूत, ठोस एवं कियाशील योग्य हैं।

अपचारी ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 20.08.2022 में यह अभिलिखित किया है कि टी0ए0सी0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ की जांच रिपोर्ट में एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल से आर0सी0सी0.कांकीट के नमूने को केन्द्रीय अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग से जांच कराया गया है। इस कार्य की गुणता पर टिप्पणी देना उचित नहीं है। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 की रिपोर्ट का उल्लेख अपचारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में किया गया है। अपचारी को निर्गत आरोप पत्र के साथ टी0ए0सी0 जांच रिपोर्ट एवं इसके साथ संलग्न साक्ष्य जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 15.06.2022 द्वारा जांच के दौरान उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पत्र दिनांक 19.07.2022 द्वारा अन्य वांछित अभिलेख अपचारी को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अतः अपचारी का यह कथन कि "सी0सी0टी0 एवं बी0एस0एस0 के राफ्ट की माप पुस्तिका एवं ड्राइंग डिजाइन नहीं दी गयी तथा साथ ही Rebound Hammer Test की प्रकिया जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष करायी गयी है, उनके नाम एवं उपलब्धता का समय इस आशय से मांगा गया, जिससे जांच अधिकारी के समक्ष जांच प्रकिया कैसे की गयी को Cross Examine किया जा सके, जो प्राप्त नहीं हुआ है", मान्य नहीं है। स्थिति यह है कि अपचारी को निर्गत आरोप पत्र के समर्थन में जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 तथा लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सामग्री की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 की छायाप्रति एवं अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, बलिया के पत्र दिनांक 06.12.2022 द्वारा उपलब्ध सूचना की पठनीय छायाप्रतियां संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी।

प्रकरण में श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता को निर्गत आरोप पत्र, इसके सापेक्ष जांच अधिकारी को प्रस्तुत प्रतिरक्षात्मक कथन, जांच अधिकारी की जांच आख्या, इसके सापेक्ष प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं प्रकरण में अन्य सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त आरोपवार निम्नानुसार स्थिति स्थापित हुई है:–

1— श्री कमलेश सिंह, अधिशासी अभियन्ता(सेवानिवृत्त) के पत्रांक–2/सीवर जांच बलिया/ दिनांक 20.08.2022 द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों के सापेक्ष यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वह दिनांक 18.12.2017 से 14.03.2018 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बलिया में सहायक अभियन्ता/प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे। उक्त अवधि में उनके द्वारा बलिया नगर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के SBR, CCT, BSS के राफ्ट का एम 30 Compressive Strenth का कार्य कराया गया है, जो प्राविधनित था। राफ्ट के कार्य डिजाइन के अनुसार है, जो उचित एवं जनोपयोगी है। सही एवं उपयोगी का अनुबिन्धत धनराशि के अंतर्गत देयता के अनुसार भुगतान किया गया है। दायित्व का निर्वहन करते हुए निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कराया गया। छोटे से कार्यकाल में योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने का भरपूर प्रयास किया गया था, श्री सिंह ने अवगत कराया है कि उनके पास अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार दिनांक 18.12.2017 से 25.02.2018 तक अर्थात कुल 69 दिन का कार्यकाल रहा। इस अवधि में पूर्व से कराये जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए SBR, CCT, BSS के राफ्ट का कार्य कराया गया। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में IIT-BHU की Rebound hammer test की जांच रिपोर्ट संलग्न की गयी, जिसमें Wall & Raft (SBR,CCT,BSS) के Stength का परीक्षण Rebound hammer test से किया गया है। M-30 के लिए Targeted Stength 38.25N/mm², होनी चाहिए, तथा Targeted Stength का Working Stength 30N/mm², अर्थात कार्य करने के बाद Compressive Strenth 30N/mm², होनी चाहिए Rebound hammer test (Reft) के बाद परिणाम 31.46N/ mm² प्राप्त हुई है जो Working Stength से ज्यादा है। एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है। राफ्ट के कार्य पर जल निगम के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके कार्यलय में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है। टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा गुणता के संबंध में पैसेज चैनल के परिणाम का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया गया है, वह उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि पैसेज चैनल का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया है। उनके द्वारा मात्र राफ्ट का कार्य कराया गया है जो मानक के अनुसार एवं उपयोगी है तथा किसी भी दशा में डिमोलिश (ध्वस्त) करने योग्य नहीं है, जिसकी पुष्टि आइ0आई0टी0 बी0एच0यू0 की Rebound hammer test Report से भी होती है। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 द्वारा राफ्ट के कार्यो की गुणता पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है अर्थात राफ्ट के कार्य ध्वस्त करने लायक नहीं है क्योंकि गुणता M-30 है, जो कराया जाना था। अपचारी द्वारा आरोपों के बचाव में दिये गये उपर्युक्त तथ्य ग्राह्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 26.02.2020 में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि SBR के Anoxi Zone की बाहरी आर0सी0सी0 की दीवार लगभग 01 मी0 की ऊंचाई तक ढाली गयी है। Anoxi Zone के आउटर वाल में बांधी गयी स्टील ड्राइंग–डिजाइन के अनुसार नहीं है। कालम में प्रयोग किये गये स्टील पर मानक के अनुसार कवर नहीं है। Anoxi Zone के Baffle वाल में प्रयुक्त स्टील Horizontal Bar की Anchor कालम के End तक नहीं किया गया है। आउटर वाल के तीसरे कालम में बिना रिंग बॉधे ही कालम की ढलाई की गयी है जो कि आर0सी0सी0 वाल में दिखाई दे रहे है। SBR के लिए बनाये गये बाहरी वाल Baffle वाल को मानकों के अनुरूप में लाना के लिये (जैसे कि स्टील की Spacing ठीक करना, वाल की Vertically ठीक करना, कवर को मानक के अनुरूप में लाना आदि, जमीन के ऊपर के प्रथम Lift को तोड़कर ही ठीक कराया जा सकता है। Anoxi Zone के पूर्वी बाहरी दीवाल पर आर–पार Vertical Crack पाया गया है। अतः बिना तोड़े कार्य को ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है। SBR के Aonxi Zone के West Side में बनी रिसिविंग चैनल की गुणवत्ता खराब है, पुनः तोड़कर बनाये जाने की आवश्यकता है CCT के दक्षिण साइड की दीवाल पर प्लास्टर करके आर0सी0सी0 में आई कमियों को ढकने का प्रयास किया गया है। BSS के उत्तरी साइड में ईट की दीवाल बनी है, जिसे तोड़कर आर0सी0सी0 की ढलाई की जानी है, निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के पैसेज चैनल से आर0सी0सी0 को तोड़कर कंक्रीट का नमूना लेकर केन्द्रीय अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को परीक्षण हेतु भेजा गया। प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मानक एम–30 के ग्रेड से काफी निम्न स्तर का प्राप्त हुआ है अर्थात जांच में सैम्पुल फेल पाया गया है। फलस्वरूप स्ट्रक्चर को बिना तोड़े कार्य कराया जाना ठीक नहीं है। संबंधित अधिकारियों द्वारा भी निर्माणाधीन एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया गया एवं हमेशा गुणवत्ता अधोमानक पायी गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपचारी द्वारा योजना के संचालन/सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके लिये सीधे तौर पर अपचारी उत्तरदायी हैं। अतः अपचारी पर अधोमानक कार्य कराने का आरोप प्रमाणित होता है।

2— अधीक्षण अभियन्ता, अस्थाई निर्माण मण्डल, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 26.09.2019 में यह उल्लिखित किया है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बी0एच0यू0 द्वारा कार्यो की जांच कराई गई, जॉच में कुछ कमियां पायी गयी, जिसका अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा कार्यवाही करते हुए दोषपूर्ण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया। टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा किये गये एस0टी0पी0 के कार्यों में कई तकनीकी कमियाँ परिलक्षित हुई है। अतः निरीक्षण में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत समस्त कमियों को दूर करने के उपरांत आगे का कार्य शुरू किया जाये, चाहे इसके लिये पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों को ध्वस्त ही क्यों न करना पड़े। परन्तु आई0आई0टी, बी0एच0यू0 के उक्त रिपोर्ट के उपरान्त भी अपचारी द्वारा उपर्युक्त रिपोर्ट का संज्ञान न लेकर कार्य कराये गये हैं एवं उनका भुगतान भी किया गया है, जबकि योजना जनोपयोगी नहीं है, अतएव अपचारी द्वारा किया गया व्यय अपव्यय की श्रेणी में है। अतः अपचारी पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित होता है।

3— आई0आई0टी0– बी0एच0यू0 द्वारा प्रश्नगत कार्यो की जांच में कमियां पाई गई। दोषपूर्ण कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं टी0ए0सी0 जांच दल द्वारा प्रश्नगत कार्यो पर हुए व्यय के अपव्यय मानते हुए इसे ध्वस्त करने की संस्तुति की गई। इसके विपरीत अपचारी द्वारा बलिया नगर में निर्माणाधीन सीवर योजना के निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के कार्यो में

मनमाने एवं गैर तकनीकी ढंग से कार्य कराये गये, जो अधोमानक पाये गये तथा कार्य जनोपयोगी नहीं हैं। अपचारी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु किये गये भुगतान अपव्यय की श्रेणी में हैं। अपचारी द्वारा बलिया सिविल लाइन जोन के निर्माण कार्यो हेतु रू0 725.33 लाख का अनियमित भुगतान अल्पावधि की तैनाती में किया गया, जो विभाग की आर्थिक क्षति है। अतः अपचारी पर शासकीय क्षति कारित किये जाने का आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के कृत्यों से विभाग को हुई आर्थिक क्षति रू0 725.33 लाख से संबंधित अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) की द्वितीय बैठक दिनांक 26.04.2022 के मद संख्या–02.18 पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अधीन अपचारी पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित करते हुए प्रचलित प्रकरण समाप्त किया जाता है–

1– पेन्शन से प्रतिमाह 40 प्रतिशत की कटौती (वसूली पूर्ण होने तक)।
2– ग्रेच्युटी से एकमुश्त वसूली।
3– नगदीकरण से एकमुश्त वसूली।

इस आदेश की प्रति श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/
निदेशक मण्डल की ओर से

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता आवासीय पता–143, लोहिया विहार, सेक्टर–9, इन्दिरा नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)/
निदेशक मण्डल की ओर से

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियंता(प्रयाग0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
2– अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
3– सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
4– उप सचिव (प्रशासन)/निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री कमलेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
5– मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर, अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
6 सहायक लेखाधिकारी (जी0ए0डी0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलिया।
8– प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग को गार्ड फाईल हेतु।

(सुशील कुमार शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (शिकायत)

Encl. No. 8, 10

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

परिशिष्ट-2

E-mail- comupjn.up@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272,
Fax- 0522-2622389

पत्रांक- 145 /007-2020-02-0053(वारा0क्षे0) दिनांक: 15/03/2022

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियंता के पद तैनाती के दौरान श्री एस0एन0 राय, सहायक अभियंता एवं श्री नीरज कुमार पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, जनपद बलिया के नगरपालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में अनियमितता करने, अधोमानक कार्य कराने, मनमाने ढंग से भुगतान के लिए संस्तुति/भुगतान करने, सीवरेज योजना लाभकारी न होने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों/भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने आदि तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज को पदेन को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज एवं पदेन जाँच अधिकारी प्रश्नगत जाँच सम्पन्न कर जाँच आख्या विलम्बतम् दिनांक 03.5.2022 तक प्रस्तुत करेंगे।

15/3/22
(नवीन गुप्ता)
मुख्य अभियंता (अ-2)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज एवं पदेन जाँच अधिकारी को उक्त कार्मिकों के आरोप पत्र (द्विपर्ण में) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया सक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखते हुए आरोप पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने हस्ताक्षर से उक्त कार्मिकों को निर्गत कर अनुशासनिक जाँच कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कर जाँच आख्या निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **संलग्नकः-उपरोक्तानुसार (द्विपर्ण में)।**
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया को प्रकरण में पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अनुशासनिक जाँच कार्यवाही सम्पन्न कराने में यह जाँच अधिकारी द्वारा वाँछित अभिलेखों/साक्ष्यों को उपलब्ध कराते हुए जाँच कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

15/3/22
(नवीन गुप्ता)
मुख्य अभियंता (अ-2)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियंता (प्रयाग0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
2. अधिशासी अभियंता(अ-2), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति संबंधित कार्मिकों की चरित्र पंजिका/व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया।
4. संबंधित कार्मिकों को (नाम से)।
5. प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग को गार्ड फाईल हेतु।

15-3-22
(रमेश कुमार गुप्ता)
उप सचिव (शिकायत)

Encl. No. 9211

E-Mail:- se.ccpyj@gmail.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)
नैनी (निकट पुराना यमुना ब्रिज)
प्रयागराज–211007

पत्रांक	43 / गोपनीय जॉच–1 /14	दिनांक: 17 / 08 / 2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(अ–2)
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)
लखनऊ।

4096
26.08.23

विषयः–निर्माण खण्ड बलिया में निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यों में की गयी अनियमितता हेतु श्री एस0एन0राय, सहायक अभियन्ता एवं श्री नीरज कुमार पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर के विरूद्व संस्थित विभागीय अनुशासनिक जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 145/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0), दिनांक 15.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता के पद तैनाती के दौरान श्री एस0एन0 राय, सहायक अभियन्ता एवं श्री नीरज कुमार पाण्डेय, जूनियर इंजीनियर द्वार अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन सीवर लाइन के कार्यो में अनियमितता करने, अधोमानक कार्य कराने, मनमाने ढंग से भुगतान के लिए संस्तुति/भुगतान करने, सीवरेज योजना लाभकारी न होने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों /भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने आदि तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम –7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्याही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को जांच अधिकारी नामित किया गया था।

जिसके क्रम में प्रश्नगत प्रकरण आरोपित किये गये कार्मिको के अभिकथन, साक्ष्य तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या प्राप्त होने के फलस्वरूप वांछित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी के अभिमत सहित संलग्नकर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी0एस0 सोलंकी)
अधीक्षण अभियन्ता

25/8/23 प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता(शिकायत), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को उनके पत्रांक सं0 240/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0), दिनांक 03.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता

Encl. No.-12

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलिया

पत्रांकः 52 / शि0 सामान्य / 8 दिनांकः- 22-8-23

सेवा में

प्रभारी निरीक्षक,
कोतवाली सदर,
बलिया।

विषयः- जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जल निगम निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही सीवर लाईन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता(शिकायत), प्रधान कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ के पत्रांक संख्या 657/007-2020-02-0053(शा0क्ष0) दिनांक 22.8.2023 द्वारा जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जल निगम निर्माण खण्ड बलिया द्वारा 2006 से क्रियान्वित की जा रही सीवर लाईन निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त अनियमितता में अपव्यय की गयी धनराशि नीचे अंकित तालिका उनके नाम के सम्मुख अंकित है सूच्य है कि नगर पालिका पालिका परिषद बलिया में वर्ष 2006 में सीवरेज की 02 योजनाएं संचालित की गयी जिनका विवरण निम्नवत् है--

1--बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन योजनाः--

कार्यक्रम	- राज्य सेक्टर सीवरेज
स्वीकृत लागत(मूल/पुनरीक्षित)	- रू0 27.90/52.2272 करोड़
स्वीकृत का संदर्भ	- रू0 11/2005 एवं 09/2007
अवमुक्त धनराशि	- रू0 52.2272 करोड़
व्यय 10/2018	- रू0 49.1038 करोड़
कार्य आरम्भ का दिनांक	- 26.04.2006

2-- बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोनः

कार्यक्रम	- राज्य सेक्टर सीवरेज
स्वीकृत लागत(मूल/पुनरीक्षित)	- रू0 44.7231 करोड़
स्वीकृत का संदर्भ	- 10.11.2006
अवमुक्त धनराशि	- रू0 44.6902 करोड़
व्यय 10/2018	- रू0 40.15 करोड़
कार्य आरम्भ का दिनांक	- 27.6.2009
कार्य पूर्ण करने का दिनांक	- 31.3.2018

(2)- उल्लेखनीय है कि प्रकरण की जॉच टी0ए0सी0 द्वारा करायी गयी। टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 17.11.2018 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन हेतु रू0 100.00 करोड़ व्यय करने एवं 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त भी योजना पूर्ण न हो सकी । बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोन के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, बलिया के पत्र दिनांक 19.08.2019 द्वारा आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 के निर्देशानुसार रीइन्फोर्समेन्ट की स्पेसिंग सही करने हेतु समस्त एस0टी0पी0 को ध्वस्त

करते हुए पुनः कार्य करने हेतु सम्बन्धित फर्म ज्योति बिल्डटेक प्रा0 लि0 को निर्देशित किया गया किन्तु फर्म द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गयी। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 की रिपोर्ट के उपरान्त भी खण्ड स्तर पर तत्समय कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा कार्य कराये गये एवं भुगतान किया गया जो कि अपव्यय की श्रेणी में आता है ।

जॉच समिति की जॉच आख्या / उपलब्ध अभिलखों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्माणधीन सीवर लाईन कार्यो में अनियमितता बरतने अधोमानक कार्य कराने मनमाने ढ़ंग से भुगतान की संस्तुति करने / भुगतान करने, सीवरेज योजना जनोपयोगी न होने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्समय तैनात निम्नलिखित अनियमितताओं / कार्मिकों के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जॉच कार्यवाही संस्थित की गयी। जॉच अधिकारी का जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन एवं उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अभियन्ताओं के द्वारा कारित वित्तीय क्षति का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यरत अवधि	जल निगम विभाजन के उपरान्त कार्मिक की स्थिति	जॉच संस्थित किये जाने का संदर्भ	अद्यतन स्थिति
1	श्री अरविन्द कुमार	अधिशासी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)	दिनांक 17.09. 2018 से अब तक	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 01 दिनांक 02.01. 2023	पत्रांक 112/007–2020–01–0053(वारा0क्षे0)/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा प्रकरण जल निगम(ग्रामीण) को आंन्तरित जॉच संस्थित की गयी।
2	श्री वी0के0 जायसवाल	सहायक अभियन्ता(सेवा0नि0 31.01.2022)	14.04. 2018 से 31.07. 2021	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 696 दिनांक 19.10. 2022	
3	श्री आलोक जायसवाल	जूनियर इंजीनियर	31.10. 2013 से 26.08. 2019	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 474 दिनांक 05.08. 2022	
4	श्री आर0 एस0 शुक्ला	अधिशासी अभियन्ता (सेवा0नि0 31. 10.2020)	03.02. 2007 से 30.04. 2008 06.06. 2008 से 02.04. 2009 147.09. 2009 से 03.12. 2009	ग्रामीण		दिनांक 30.11.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकी।
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद	जूनियर इंजीनियर(सेवा0नि0 30.06.2021)	05.02. 1999 से 20.08. 2014 तक	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 675 दिनांक 26.04. 2019	जल निगम विभाजन के उपरान्त कार्मिक के जल निगम(ग्रामीण) में समाहित होने के फलस्वरूप पत्रावली निर्णय हेतु अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण) को आन्तरित।

उपर्युक्त अभियन्ताओं द्वारा पदजनित कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करते हुए शासकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया तथा निर्माण कार्य को समय से पूर्ण कराकर जनोपयोगी नहीं बनाया गया जिससे शासकीय क्षति एवं विभाग की छवि धूमिल हुई। उनका यह कृत्य वित्तीय अनियमितता के साथ ही अपराधिक कृत्य भी है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मा0 ए0जी0टी0 के समक्ष ओ0ए0 संख्या 370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र राज्य व अन्य योजित किया गया है जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 12.04.2023 को पारित आदेश का अनुपालन किया जाना है। प्रकरण में दिनांक 21.08.2023 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के उद्यतन संचालित न होने के फलस्वरूप अत्यन्त रोष प्रकट किया गया तथा उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) मे सनाहित कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा मौखिक रूप से सहमति प्रदान की गयी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तालिका में लोक कार्मिक सेवकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एफ0आई0आर0 की सत्यप्रति तत्काल इस कार्यालय को देने का कष्ट करें।

भवदीय

(अंकुर श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 52/ सी0 प्रा0मा0/4 दिनांक 22-8-23
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(1) मुख्य अभियन्ता(प्रया0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
(1) अधीक्षण अभियन्ता(शिकायत), प्रधान कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
(1) अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम(नगरीय), आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

Encl. No. 13

प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
Phone- 0522-2620172, 262027
Fax- 0522-2622389

गोपनीय/स्पीडपोस्ट/ई–मेल
दिनांक: 22.08.2023

पत्रांक– 657/007–2020–02–0053(वारा0क्षे0)

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),
बलिया।

विषय:– जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जल निगम निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही सीवर लाइन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

सूच्य है कि नगर पालिका परिषद बलिया में वर्ष 2006 में सीवरेज की 02 योजनाएं संचालित की गयीं जिनका विवरण निम्नवत है–

1– बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन योजना:

कार्यक्रम	– राज्य सेक्टर सीवरेज
स्वीकृत लागत(मूल/पुनरीक्षित)	– रू0 27.90/52.2272 करोड़
स्वीकृति का संदर्भ	– 11/2005 एवं 09/2007
अवमुक्त धनराशि	– रू0 52.2272 करोड़
व्यय 10/2018	– रू0 49.1038 करोड़
कार्य आरम्भ का दिनांक	– 26.04.2006

2– बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोन:

कार्यक्रम	– यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0
स्वीकृत लागत(मूल/पुनरीक्षित)	– रू0 44.7231 करोड़
स्वीकृति का संदर्भ	– 10.11.2006
अवमुक्त धनराशि	– रू0 44.6902 करोड़
व्यय 10/2018	– रू0 40.15 करोड़
कार्य आरम्भ का दिनांक	– 27.06.2009
कार्य पूर्ण करने का दिनांक	– 31.03.2018

(ii) उल्लेखनीय है कि प्रकरण की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी गयी। टी0ए0सी0 की जाच आख्या दिनांक 17.11.2018 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन हेतु रू0 100.00 करोड़ व्यय करने एवं 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त भी योजना पूर्ण नहीं हो सकी। बलिया सीवरेज योजना सिविल लाईन जोन के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम बलिया के पत्र दिनांक 19.08.2019 द्वारा आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 के निर्देशासनुसार रीइन्फोर्समेंट की स्पेसिंग सही करने हेतु समस्त एस0टी0पी0 को ध्वस्त करते हुए पुनः कार्य करने हेतु सम्बन्धित फर्म ज्योति बिल्डटेक प्रा0लि0 को निर्देशित किया गया किन्तु फर्म द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही

नही की गयी। आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 की रिपोर्ट के उपरान्त भी खण्ड स्तर पर तत्समय कार्य अभियन्ताओं द्वारा कार्य कराये गये एवं भुगतान किया गया जो कि अपव्यय की श्रेणी में आता है।

जांच समिति की जांच आख्या/उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्माणाधीन सीवर लाईन कार्यों में अनियमितता बरतने अधोमानक कार्य कराने मनमाने ढंग से भुगतान की संस्तुति करने/भुगतान करने, सीवरेज योजना जनोपयोगी न होने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्समय तैनात निम्नलिखित अभियन्ताओं/कार्मिकों के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित की गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अभियन्ताओं के द्वारा कारित वित्तीय क्षति का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यरत अवधि	जल निगम विभाजन के उपरान्त कार्मिक की स्थिति	जांच संस्थित किये जाने का संदर्भ	अद्यतन स्थिति
01.	श्री अरविन्द कुमार	अधिशासी अभियन्ता मुख्य अभि0(ग्रामीण)	दिनांक 17.09. 2018 से अब तक	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 01 दिनांक 02.01. 2023	पत्रांक-112/007-2020-01-0053(वा0क्षे0)/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा प्रकरण जल निगम(ग्रामीण) को आन्तरित, जांच संस्थित की गयी।
02.	श्री वी0के जायसवाल	सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त तिथि 31.01. 2022)	14.04.2018 से 31.07.2021 23. 11.21 से	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 696 दिनांक 19.10. 2022	
03	श्री आलोक जायसवाल	जूनियर इंजीनियर	31.10.2013 से 26.08.2019	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 474 दिनांक 05.08. 2022	
04.	श्री आर0 एस0 शुक्ला	अधिशासी अभियन्ता /वर्तमान में सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त तिथि 31.10. 2020	03.02.2007 से 30.04.2008 06.06.2008 से 02.04.2009 14.09.2009 से 03.12.2009	ग्रामीण	-	दिनांक 30.11.2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत सी0एस0आर0 के नियम-351(ए) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकी।
05.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	जूनियर इंजीनियर (सेवानिवृत्ति तिथि 30.06. 2021)	05.02.1999 से 20.08.2014 तक	ग्रामीण	ज्ञाप सं0 675 दिनांक 26.04. 2019	जल निगम विभाजन के उपरान्त कार्मिक के जल निगम(ग्रामीण) में समाहित होने के फलस्वरूप पत्रावली निर्णय हेतु अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत)(ग्रामीण) को आन्तरित।

उपर्युक्त अभियन्ताओं द्वारा पदजनित कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करते हुए शासकीय धनराशि का दुर्विनियोग किया गया तथा निर्माण कार्य को समय से पूर्ण कराकर जनोपयोगी नहीं बनाया गया जिससे शासकीय क्षति एवं विभाग की छवि धूमिल हुई। उनका यह कृत्य वित्तीय अनियमितता के साथ ही अपराधिक कृत्य भी है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष ओ0ए0

संख्या–370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया है जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 12.04.2023 को पारित आदेश का अनुपालन किया जाना है। प्रकरण में दिनांक 21.08.2023 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के अद्यतन संचालित न होने के फलस्वरूप अत्यन्त रोष प्रकट किया गया तथा उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) में समाहित कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा मौखिक रूप से सहमति प्रदान की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तालिका में वर्णित लोकसेवकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार शर्मा)
अधीक्षण अभियंता(शिकायत)

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को दिनांक 21.08.2023 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) में समाहित कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु मौखिक रूप से प्रदान की गयी सहमति के सन्दर्भ में।

3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।

4– अधीक्षण अभियंता(शिकायत), उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।

अधीक्षण अभियंता(शिकायत)

22/08/2023

Encl. No.-1[illegible]

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

प्रधान कार्यालय 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001
Website: www.upjn.org, Fax 0522-[illegible]2389, Phone 0522-2620172, 2620272

गोपनीय

पत्रांक [illegible] / [illegible] दिनांक [illegible]/03/2022

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता(शिकायत)
[illegible] जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ

विषयः– जनपद बलिया में निर्माणाधीन सीवरेज परियोजना में टी०ए०सी० जांच के उपरान्त पायी गयी कमियों को ठीक कराने एवं अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता(टी०ए०सी०) के पत्र सं० 156 दिनांक 04.03.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ टी०ए०सी० जांच रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 एवं लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गयी सामग्री की जांच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए इंगित कमियों का निराकरण एवं अधोमानक कार्य कराने हेतु [illegible] अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए मुख्य अभियन्ता(वा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, वाराणसी को उनके कार्यालय के पत्रांक 673 दिनांक 14.05.2020 द्वारा आरोप पत्र के आलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मामले की टी०ए०सी० द्वारा की गयी जांच/स्थलीय निरीक्षण दिनांक 1[illegible].10.2019 में अधोमानक कार्यों का [illegible] सीवरेज [illegible] के कार्य में [illegible] पाइलिंग, [illegible] एस०पी०आर० की राइड [illegible] के कार्य पूर्ण होने पर रनिंग बिल–14 जो कि रू0 84.34 लाख का है [illegible] प्रतिशत अग्रिम रू0 25.00 लाख का भुगतान दिनांक 09.08.2019 को सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर द्वारा माप पुस्तिका में अंकन/एब्सट्रेक्ट [illegible] किया, अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाने की पुष्टि हुई है जो गम्भीर अनियमितता है।

अतः उक्त अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी [illegible] कार्मिकों के आरोप पत्र के आलेख मुख्य अभियन्ता(वा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, वाराणसी के पत्रांक 02/[illegible]/02 दिनांक 18.01.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित किये गये है। तत्क्रम में उ०प्र० जल निगम के विभाजन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में अन्तर्ग्रस्त निम्नलिखित कार्मिकों के प्रकरण में अनुशासनिक/प्रशासनिक निर्णय लिये जाने का अधिकार उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में निहित है–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	तैनाती कार्यालय का नाम
01.	श्री अरविन्द कुमार,	अधिशासी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) लखनऊ
02.	श्री पी०के० जायसवाल,	सहायक अभियन्ता	खण्ड कार्यालय(ग्रामीण), बलिया
3.	श्री आलोक जायसवाल	जूनियर इंजीनियर	निर्माण खण्ड (ग्रामीण) भदोही

कृपया प्रकरण में यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु आरोप पत्र के आलेख साक्ष्यों सहित आपके स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–01 नग पत्रावली (मूलरूप में)।

भवदीय,

(आर०के० पंकज)
अधीक्षण अभियन्ता(शिकायत)

Encl. No. 15

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक– 01 /009–2020–01–0053(वा0क्षे0) दिनांक 02.01.2023

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में श्री अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान बलिया सीवरेज योजना के कार्य अधोमानक पाये जाने, योजना जनोपयोगी न होने, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठा पूर्वक निर्वहन न करने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली (यथासंशोधित) के नियम–3 (1) व 3 (2) के प्रविधानों/भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने, एवं विभाग को वित्तीय हानि पहुँचाने आदि प्रकरण के प्रकाश में आने के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोप–पत्र निर्गत कर श्री अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु एतद्द्वारा श्री राम भवन राम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री राम भवन राम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी, अपचारी को आरोप–पत्र निर्गत कर तामीली की सूचना तथा प्रश्नगत जांच नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या विलम्बतम् दिनांक 30.01.2023 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

2.01.23

(डॉ0 बलकार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
का0/90
28-12-2022

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:–

प्रतिलिपि श्री अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता, पता– 520/03, गौरव विहार कालोनी, निकट– रामा डिग्री कालेज, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2.01.23

(डॉ0 बलकार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
का0/90
28-12-2022

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

2– मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी को उक्त कार्मिक का आरोप पत्र (द्विपर्ण में) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखते हुये आरोप– पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने हस्ताक्षर से उक्त कार्मिक को निर्गत कर अनुशासनिक जांच कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:–उपरोक्तानुसार (द्विपर्ण में)।

3– मुख्य अभियन्ता (वा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

4– उप सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री अरविन्द कुमार, अधिशासी अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।

5– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।

6– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिकायत अनुभाग को गार्ड फाइल हेतु।

(जे0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत)
का0/90
28-12-2022

Encl. No. 16

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक– 696/009–2020–01–0053(वा0क्षे0) दिनांक 19.10.2022

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती के दौरान श्री वी0के0 जायसवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन न करने, बलिया सीवरेज योजना के अन्तर्गत अधोमानक कार्य कराने, योजना जनोपयोगी न होने, कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठा पूर्वक निर्वहन न करने, विभाग को वित्तीय हानि पहुँचाने, कार्यों में शिथिलता बरतने एवं शासन के समक्ष विभाग की छवि धूमिल करने आदि तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप निगम निदेशक मण्डल की स्वीकृति से सी0एस0आर0 के नियम–351(ए) के अन्तर्गत आरोप–पत्र निर्गत कर श्री वी0के0 जायसवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, के विरूद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु एतदद्वारा श्री राम भवन राम, अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री राम भवन राम, अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगन (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी अपचारी को आरोप–पत्र निर्गत कर तामीली की सूचना तथा प्रश्नगत जांच नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या विलम्बतम् दिनांक 15.11.2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

(कन्हैया बाबू गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (अ–2–1)/निदेशक मण्डल
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की ओर से।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:–

श्री वी0के0 जायसवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट– करिमुद्दीन, जिला–गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(कन्हैया बाबू गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (अ–2–1)/निदेशक मण्डल
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की ओर से।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2– मुख्य अभियन्ता (वा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3– अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी को उक्त कार्मिक का आरोप–पत्र (द्विपर्ण में) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखते हुये आरोप–पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने हस्ताक्षर से उक्त कार्मिक को निर्गत कर अनुशासनिक जांच कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या दिनांक 15.11.2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:–उपरोक्तानुसार (द्विपर्ण में)।
4– अधीक्षण अभियन्ता (अ–2–1), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री वी0के0 जायसवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
5– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
6– प्रशासनिक अधिकारी शिकायत अनुभाग को गार्ड फाइल हेतु।

(जे0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत)

Scanned with OKEN Scanner

Encl No 17

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक– ५७५ / 009–2020–01–0053(वा0क्षे0)

दिनाक 05 08 2022

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम बलिया में श्री आलोक जायसवाल, जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनाती के दौरान बलिया सीवरेज योजना के कार्य अप्रमाणिक पाये जाने, योजना जनोपयोगी न होने, कर्तव्य एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठा पूर्वक निर्वहन न करने, विभाग की छवि धूमिल करने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली (यथासंशोधित) के नियम–3 (1) व 3 (2) के प्रविधानों/भावनाओं की अपेक्षानुसार आचरण न करने, एवं विभाग को वित्तीय हानि पहुँचाने आदि प्रकरण के प्रकाश मे आने के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोप–पत्र निर्गत कर श्री आलोक जायसवाल, जूनियर इंजीनियर, के विरूद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु एतद्द्वारा श्री राम भवन राम, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री राम भवन राम, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी, अपचारी को आरोप–पत्र निर्गत कर आरोपी को सूचना तथा प्रश्नगत जांच नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या विलम्बतम दिनांक 05.09 2022 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

5-8-22
(कन्हैया बाबू गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (अ–2–2)
का0/प्र0
5-8-2022

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर एवं पदेन जांच अधिकारी को उक्त कार्मिक का आरोप पत्र (द्विपर्ण मे) इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखते हुये आरोप– पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने हस्ताक्षर से उक्त कार्मिक को निर्गत कर अनुशासनिक जांच कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न कर जांच आख्या निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार (द्विपर्ण मे)।

2– मुख्य अभियन्ता (वा0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।

3– अधिशासी अभियन्ता (अ 2 2), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री आलोक जायसवाल जूनियर इंजीनियर की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।

4– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।

5– श्री आलोक जायसवाल, जूनियर इंजीनियर खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) भदोही।

6– प्रशासनिक अधिकारी शिकायत अनुभाग को गार्ड फाइल हेतु।

05/8/22
(जे0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत)
का0/प्र0
5-8-2022

Scanned with OKEN Scanner

Encl. No. 18

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

E-mail- comupjn.up@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272,
Fax- 0522-2622389

पत्रांक– 325/007–2018–02–0029(वारा0क्षे0) दिनांक: 11.05. 2023

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में खण्डीय लेखाकार के पद पर तैनाती की अवधि में श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक एवं समर्पित भावना से निर्वहन न करने, बलिया सीवरेज सिटी जोन का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत न करने एवं राज्य सेक्टर बलिया सीवरेज योजना सिविल लाइन जोन को स्वीकृत कराये बिना मनमाने ढंग से निर्माण कार्य कराकर अनियमित व्यय करने, नियम विरूद्ध कार्य करने, कार्यो की गुणवत्ता अधोमानक होने, ठेकेदार से दुरभि संधि कर अनियमित भुगतान कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने, विभाग की छवि धूमिल करने एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 (यथासंशोधित) के नियम–3(1) एवं 3(2) में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करने आदि से संबंधित प्रतिकूल तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या–675/007–2018–02–0029 (वारा0क्षे0) दिनांक 26.04.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोपों की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अयोध्या को जाँच अधिकारी नामित कर विभागीय अनुशासनिक जांच कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी।

प्रकरण में श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार को निर्गत आरोप पत्र, इसके सापेक्ष जांच अधिकारी को प्रस्तुत प्रतिरक्षात्मक कथन, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार/वर्तमान में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच प्रकरण एतद् द्वारा निक्षेपित किया जाता है।

इस आदेश की प्रति श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

(अरूण कुमार)
मुख्य अभियंता (अ–3)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरूण कुमार)
मुख्य अभियंता(अ–3)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियंता (वाराणसी क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), वाराणसी।
2– अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अयोध्या।
3– अधीक्षण अभियंता (अ–3), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री सुशील चन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
4– अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया।
5– प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग को गार्ड फाईल हेतु।

(सुशील कुमार शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (शिकायत)

Encl. No 19

प्रधान कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

E-mail- comupjn.up@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272
Fax- 0522-2622389

पत्रांक:– 268/007–2018–02–0029(वारा0क्षे0) दिनांक: 09 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया में कार्यवाहक खण्डीय लेखाकार/मुख्य लिपिक के पद पर तैनाती के दौरान श्री गोपाल जी सिंह, कार्यवाहक खण्डीय लेखाकार/मुख्य लिपिक के विरूद्ध अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन न करने, विभागीय कार्यो में धांधली आदि का दुष्प्रचार कर प्रेस/मीडिया के साथ विभाग की छवि धूमिल करने, विभागीय कार्यो का निस्तारण न कर दूसरे कक्षों में जाकर अन्य कार्मिकों के कार्यो में बाधा डालने, स्थानीय नेताओं से विभागीय कार्यो के संबंध में दुष्प्रचार कर उन्हें भ्रमित करने आदि प्रतिकूल तथ्यों के प्रथम दृष्टया प्रकाश में आने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या–675/007–2018–02–0029(वारा0क्षे0) दिनांक 26.04.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अयोध्या को जाँच अधिकारी नामित किया गया।

उक्त के अनुक्रम में अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, अयोध्या एवं जाँच अधिकारी द्वारा पत्रांक 78/गो0जांच–नि0ख0बलिया/22 दिनांक 20.08.2020 द्वारा अपचारी कार्मिक को आरोप पत्र निर्गत किया गया। निर्गत आरोप पत्र में अपचारी को निम्नानुसार आरोपित किया गया:–

आरोप संख्या–01–

जनपद बलिया में बलिया सीवरेज योजना सिविल लाइन जोन स्वीकृत लागत रू0 44.7231 करोड़ एवं बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन स्वीकृत लागत रू0 5222.72 लाख निर्माणाधीन है। इन योजनाओं की माह 10/2018 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:–

1– बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन

कार्यक्रम	–	राज्य सेक्टर सीवरेज
स्वीकृत लागत (मूल/पुनरीक्षित)	–	रू0 2790/5222.72 लाख
स्वीकृति का सन्दर्भ	–	11/2005 एवं 09/2007
अवमुक्त धनराशि	–	रू0 5222.72 लाख
व्यय 10/2018	–	रू0 4910.38 लाख
कार्य आरम्भ की दिनांक	–	26.04.2006

भौतिक प्रगति–

क्र0 सं0	योजना में प्रस्तावित कार्य	10/2018 तक पूर्ण कार्य	नगर पालिका बलिया को हस्तांतरण का दिनांक	कार्यो को चालू (commission) करने का दिनांक	टिप्पणी
1 2	ब्रांच सीवर 19.57 किमी. 27.57 किमी. ट्रंक सीवर 8.00 किमी.	30.399 किमी.	24.02.2010	–	1–खण्ड की सूचना में 27.57 किमी. सीवर डाले जाने की सूचना दी गई है, जबकि नगर पालिका को 30.399 किमी0 सीवर हस्तांतरित की गई है। अतः हस्तातरिक कार्यो को प्रगति मे दर्शाया गया हैं।
3	मैन होल्स 978 नग	1197 नग	24.02.2010		
4	मैन पम्पिंग स्टेशन–1 नग (10.5 मी0 व्यास)	1 नग	–	–	
5	राइजिंग मेन– 3000 मी0	2580 मी0	–	–	2–योजना के 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6	सीवर कनेक्टिंग चैम्बर 853 नग	–	–	–	
7	सीवेज फार्म चैनल– 4.00 किमी0	–	–	–	
8	ओवर फ्लो सीवर– 1.30 किमी0	1.30 किमी0	–		
9	STP (UASB)-1 no. 14.59 MLD				
10	पम्पिंग प्लाण्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्य 2/11500 lpm/24 m 2/6000 lpm/19 m	3/11500 lpm /24m 3/6000 lpm/19 M 3/100 HP M0tar 2/50 HP motar			1– पम्प/मोटर की आपूर्ति का कार्य पूर्ण। 2–पम्प/मोटर का अधिष्ठापन कार्य शेष है।
11	हाउस कनेक्टिंग चैम्बर 1200 नग	586	24.02.2010	–	

2– बलिया सीवरेज योजना सिविल लाइन जोन

कार्यक्रम	–	यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0
स्वीकृत लागत	–	रू0 44.7231 करोड़
स्वीकृति का सन्दर्भ	–	10.11.2006
कार्य आरम्भ की दिनांक	–	27.06.2009
कार्य पूर्ण करने का दिनांक	–	31.03.2018
अवमुक्त धनराशि	–	रू0 44.6902 करोड़
व्यय (10/2018 तक)	–	रू0 40.15 करोड़

भौतिक प्रगति –

योजना में प्रस्तावित कार्य	पूर्ण कार्य 10/2018 तक	कार्यों को चालू (commission) करने का दिनांक	हस्तांतरण का दिनांक	योजना की ओवर आल प्रगति % में
ब्रान्च सीवर 26.173 कि0मी0	26.173 कि0मी0	–	–	
ट्रंक सीवर 3.475 कि0मी0	2.70 कि0मी0	–	–	
ओवर फ्लो सीवर 1.35 कि0मी0	0.85 कि0मी0	–	–	
मेन पंपिंग स्टेशन (MPS)1 नग	1 नग	–	–	80 प्रतिशत
राइजिंग मेन 2.7 कि0मी0	2.00 कि0मी0	–	–	
सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट–1 नग (5 MLD)	–	–	–	
वि0/यॉ0 कार्य	–	–	–	–

बलिया सीवरेज सिटी जोन के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0टी0पी0 14.59 एम0एल0डी0 एवं बलिया सीवरेज योजना सिविल लाइन जोन के अन्तर्गत प्रस्तावित 05 एम0एल0डी0 (यू0ए0एस0बी0) तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कुल क्षमता 1959 एम0एल0डी0 (यू0ए0एस0बी0) के निर्माण हेतु पुनरीक्षित बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन का प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 63.31 करोड़ स्वीकृति हेतु शासन को भेजा गया। सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि हो जाने के कारण पुनः प्राक्कलन रू0 11275. 36 लाख विरचित किया गया, जिसके अन्तर्गत 19.59 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित किया गया। इस एस0टी0पी0 हेतु बलिया नगर के सिविल लाइन एरिया के छोड़हार ग्राम में भूमि क्रय कर ली गयी, जिस पर उक्त एस0टी0पी0 का 55 प्रतिशत कार्य करने के बाद कार्य बन्द कर दिया गया एवं राइजिंग मेन का कार्य प्रति पर है। पुनरीक्षित बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन का प्राक्कलन 11275.36 लाख खण्ड द्वारा मण्डल/क्षेत्र एवं मुख्यालय को स्वीकृति हेतु अग्रसारित नहीं किया गया। इस प्रकार राज्य सेक्टर सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित नयी पुनरीक्षित बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन के अन्तर्गत 19.59 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 एवं राजजिंग मेन का कार्य बिना योजना स्वीकृत कराये, सम्पादित कराये गये, जिसके अन्तर्गत वित्तीय अनियमितता करते हुए अपचारी द्वारा अनियमित भुगतान किया गया।

उपरोक्त दोनों योजनाओं के कार्यो के सम्पादन हेतु खण्ड द्वारा निम्न अनुबन्ध गठित किये गये, जिनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:–

1– **<u>अनुबन्ध संख्या 10/CE/ 06–07 (सिटी जोन सीवर कार्य)</u>**

1– अनुबन्ध की लागत – रू0 1497.002 लाख
2– कार्य आरम्भ की दिनांक – 26.04.2006
3– कार्य पूर्ण करने की दिनांक – 25.04.2007
4– अनुबन्ध में शामिल कार्यो की भौतिक /वित्तीय प्रगति–

क्रमांक	अनुबन्ध में शामिल कार्य	पूर्ण कार्य 10/2018 तक	व्यय 10/2018 तक (रू0 लाख में)	अनुबन्ध के अर्न्तगत		कार्यों को चालू (commission) करने का दिनांक	कार्यों को नगर पालिका को हस्तान्तरण की दिनांक
				लागत वृद्धि	समय वृद्धि		
1	ट्रंक सीवर,		1124.73	–	–	–	24.02.2010
2	ब्रान्च सीवर एवं तत्सम्बन्धी कार्य	100 प्रतिशत					

(2) अनुबन्ध संख्या 2/SE/09–10 दिनांक 14.07.2009 (सीवर, राइजिंग मेन एवं पंपिंग स्टेशन निर्माण कार्य सिविल लाइन जोन)

1– अनुबन्ध की लागत – रू0 2525.00

2– कार्य आरम्भ की दिनांक – 27.06.2009

3– कार्य पूर्ण करने की दिनांक – 26.06.2011

4– अनुबन्ध में शामिल कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति–

धनराशि रू0 लाख में

कमांक	अनुबन्ध में शामिल कार्य	पूर्ण कार्य 10/2018 तक	व्यय 10/2018 तक (रू0 लाख में)	अनुबन्ध के अन्तर्गत		कार्य को चालू Commission करने का दिनांक	कार्यों के नगर पालिका को हस्तांतरण का दिनांक
				लागत वृद्धि	समय वृद्धि		
1	सीवर कार्य राइजिंग मेन पम्पिंग स्टेशन–1 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य	100 प्रतिशत	1934.79	–	–	–	–

(3) अनुबन्ध संख्या 3/SE/2009–10 दिनांक 15.04.2017 (19.60 MLD SBR सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं राइजिंग मेन का कार्य)

1– अनुबन्ध की लागत – रू0 3067.60 लाख
2– कार्य आरम्भ की दिनांक – 20.4.2017
3– कार्य पूर्ण करने की दिनांक – 19.10..2018
4– अनुबन्ध में शामिल कार्यों की भौतिक /वित्तीय प्रगति–

कमांक	अनुबन्ध में शामिल कार्य	पूर्ण कार्य 10/2018 तक	व्यय 10/2018 तक (रू0 लाख)	अनुबन्ध के अन्तर्गत		कार्य को चालू Commission करने का दिनांक	अभियुक्ति
				लागत वृद्धि	समय वृद्धि		
1	19.6 एम.एल.डी. SBR एस0टी0 पी0 1 नग	एस0टी0पी0 55 प्रतिशत	1411.73	–	–	–	अनुबन्ध में शामिल कार्य पुनरीक्षित बलिया सीवरेज सिटी जोन के अन्तर्गत प्रावधानित है। यह योजना शासन से स्वीकृत नहीं है।
2	राइजिंग मेन एवं तत्सम्बन्धी कार्य	राइजिंग मेन 80 प्रतिशत					

जांच आख्या में पाया गया कि बलिया सीवरेज योजना सिटी जोन की 30.399 किमी0 सीवर एवं तत्संबंधी कार्य दिनांक 24.02.2010 को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा हस्तगत किया गया है। तत्पश्चात् अधिशासी अभियंता के पत्रांक–854/कार्य–10/38 दिनांक 06.09.2012 के द्वारा अनुबन्ध संख्या–10/सीई/2006–07 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य " सप्लाई, लेईंग, ज्वॉयनिंग, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ सीवर्स" को सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन

सीवर सेक्शन टेस्टिंग रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मौके पर सीवर के लगभग समस्त मेनहोल सड़क के नीचे दब गये हैं। नगर पालिका को हस्तान्तरित उक्त सीवर एवं अन्य कार्य वर्तमान तक चालू नहीं किये गये जिसे चालू करने हेतु प्रोग्रेसिव मद में 05 प्रतिशत धनराशि रू0 12.29 लाख एवं टेस्टिंग मद की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 13.82 लाख कुल धनराशि रू0 26.11 लाख ठेकेदार को अनियमित रूप से भुगतान कर दी गयी।

इस प्रकार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन न करने, योजना की स्वीकृति बिना मनमाने ढंग से अनियमित व्यय करने, नियम विरूद्ध कार्य करने, ठेकेदार से दुरभि संधि कर रू0 26.11 लाख का अनियमित भुगतान कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेतु आरोपित किया गया।

आरोप संख्या–02

बलिया नगर में निर्माणाधीन राज्य सेक्टर बलिया सीवरेज योजना में सिटी जोन लागत रू0 5222.72 लाख एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम की बलिया सीवरेज योजना सिविल लाइन जोन लागत रू0 44.6902 करोड़ के अन्तर्गत 19.59 एम0एल0डी0, यू0ए0एस0बी0 तकनीक पर आधारित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाया जाना था, जो भूमि न मिलने के कारण मार्च/2017 तक नहीं बनाया जा सका। खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रगति सूचना में 27.57 किमी0, पत्रांक–854 दिनांक 06.09.2012 के द्वारा ठेकेदार को निर्गत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में 37.08 किमी0 तथा नगरपालिका परिषद बलिया द्वारा हस्तगत प्रपत्र दिनांक 24.02.2010 में 30. 39 किमी0 तथा माप पुस्तिका के आधार पर 28.93 किमी0 सीवर डाले जाने का उल्लेख है। इस प्रकार तीनों अभिलेखों में डाली गयी सीवर लाइन में भिन्नता है।

राज्य सेक्टर बलिया सिटी जोन योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 63.31 करोड़ दिनांक 05.07.2016 को स्वीकृति हेतु भेजा गया लेकिन उक्त प्राक्कलन शासन स्तर द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। पुनः सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि का कारण दर्शाते हुए प्राक्कलन रू0 11275.36 लाख तैयार किया गया जिसमें नये स्थान ग्राम छोड़हार में 19.59 एम0एल0डी0 एस0बी0आर0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं बढ़ी हुई राइजिंग मेन का कार्य शामिल किया गया। अभी तक खण्ड/मण्डल/क्षेत्र द्वारा उक्त प्राक्कलन रू0 11275.36 लाख को स्वीकृत हेतु नहीं भेजा गया। पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्य पर अनियमित भुगतान रू0 1411. 73 लाख ठेकेदार को माह 10/2018 तक किया गया।

इस प्रकार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक निर्वहन न करने, मनमाने ढंग से कार्य करने, रू0 1411.73 लाख का अनियमित भुगतान कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने, नियम विरूद्ध कार्य करने हेतु आरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित आरोपों के बचाव में अपचारी द्वारा अपना **प्रतिरक्षात्मक कथन पत्र दिनांक 20.11.2020** जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री एस0एन0 राय, सहायक अभियंता, निर्माण खण्ड, बलिया ने सिटी जोन बलिया के टेस्टिंग संबंधित अभिलेख भुगतान हेतु लेखा कक्ष में श्री दीपक कुमार सिंह, आ0प्रा0 (बिल क्लर्क) को प्रस्तुत किया गया, जिनके समस्त अभिलेखों को पूर्णरूपेण जांचोपरान्त टेस्टिंग से संबंधित बिल/बाउचरों को पारित कर अपचारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समस्त पारित बाउचरों पर जांचोपरान्त अपचारी के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गयी एवं अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान किया गया। योजना के समस्त कार्य (सिटी जोन सीवर कार्य) पूर्व में ही वर्ष 2010 में पूर्ण कर ली गयी थी एवं अनुबन्ध के पैरा के अनुसार प्रोग्रेसिव बिल का भुगतान भी पूर्वाधिकारियों द्वारा किया गया था। जबकि अनुबन्ध के अनुसार प्रोग्रेसिव मद में काटी गयी धनराशि का भुगतान टेस्टिंग के उपरान्त ही किया जाना चाहिए। निर्माण खण्ड में कार्यवाहक खण्डीय लेखाकार के पद पर अपचारी की नियुक्ति लेखाधिकारी के पत्र संख्या–109/0303–0104स्था/17 दिनांक 17.03.2018 द्वारा हुई, जिससे स्पष्ट है कि प्रोगेसिव भुगतान के समय में निर्माण खण्ड में खण्डीय लेखाकार के पद पर कार्यरत नहीं थे।

अनुबन्ध संख्या–10/सी0बी0/2006–07 के अनुसार टेस्टिंग के उपरान्त ही प्रोग्रेसिव मद में काटी गयी, धनराशि का भुगतान किया जाना था। पूर्व में कार्यरत जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता द्वारा सिटी जोन के समस्त कार्य करते हुए (टेस्टिंग) योजना नगरपालिका, बलिया को हस्तान्तरित कर दी गयी, जिसकी पुष्टि सहायक अभियंता श्री एस0एन0 राय द्वारा किया गया है। श्री एस0एन0 राय, सहायक अभियंता की टिप्पणी पर श्री कायम हुसैन, अधिशासी अभियंता द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, तदुपरान्त उनके द्वारा बीजक पारित करने की कार्यवाही की गयी।

मै0 ज्योति बिल्डटेक प्रा0लि0, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 03.07.2018 में अपने टेस्टिंग की धनराशि का भुगतान हेतु निवेदन किया गया, एवं प्रार्थना–पत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि यदि फर्म की कोई कमी सिटी जोन में पायी जाती है, तो फर्म के द्वारा कार्य करा दिया जायेगा। मै0 ज्योति बिल्डटेक प्रा0लि0, नई दिल्ली ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्शाया है किय यदि विभाग को भुगतान में कोई आपत्ति होती है, तो सिविल लाइन के भुगतान के बिलों से कटौती कर ली जाये।

सेवानिवृत्त अधिशासी अधिशासी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया ने अपने पत्र संख्या–854/कार्य–110/38 दिनांक 06.08.2012 को मै0 ज्योति बिल्डटेक प्रा0लि0 नई दिल्ली Work Completion Certificate जारी किया गया है, जिसमें सी0बी0 नं0 10/सी0ई0/06–07 दिनांक 11.05.2016 का समस्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जिसमें टेस्टिंग का कार्य भी सम्मिलित है।

आरोप संख्या–02 के संबंध में अपचारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिरोपित आरोप अपचारी से संबंधित नहीं हैं।

अपचारी द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिरक्षात्मक कथन एवं प्रकरण में उपलब्ध अन्य सुसंगत साक्ष्यों/अभिलेखों के जांचोपरान्त जांच अधिकारी ने पत्रांक–03/गो0जांच–नि0ख0 बलिया/42 दिनांक 15.03.2022 द्वारा जांच आख्या प्रेषित की है। जांच आख्या में जांच अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि अपचारी द्वारा टेस्टिंग मद में 05 प्रतिशत धनराशि रू0 13.82 लाख के देयक का भुगतान किया जाना स्वीकार किया गया है, परन्तु विभागीय कार्य प्रणाली के अनुसार सहायक अभियंता/संगणक के जांचोपरान्त एवं अधिशासी अभियंता के माप पुस्तिका एवं देयक पर हस्ताक्षरोपरान्त लेखा कक्ष द्वारा भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। अतः श्री गोपाल जी सिंह, खण्डीय लेखाकार(वर्तमान में सेवानिवृत्त) आरोप संख्या–01 के सापेक्ष दोषी नहीं हैं।

जांच आख्या के अनुसार खण्ड में प्राक्कलन स्वीकृति इत्यादि से संबंधित कार्य सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता का होता है, जिसके लिए श्री गोपाल जी सिंह उत्तरदायी नहीं हैं। अतः श्री गोपाल जी सिंह, खण्डीय लेखाकार(वर्तमान में सेवानिवृत्त) पर आरोप संख्या–02 सिद्ध नहीं होता है।

प्रकरण में श्री गोपाल जी सिंह, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार को निर्गत आरोप पत्र, इसके सापेक्ष जांच अधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रतिरक्षात्मक कथन एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा प्रकरण में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि श्री गोपाल जी सिंह, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार/वर्तमान में सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक को आरोप संख्या–01 के अन्तर्गत सीवर सेक्शनल टेस्टिंग मद की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 13.82 लाख के भुगतान हेतु जांचोपरान्त दोषी नहीं पाया गया है तथा आरोप संख्या–02 से श्री सिंह आच्छादित नहीं होते हैं। श्री गोपाल जी सिंह, तत्कालीन खण्डीय लेखाकार वर्तमान में विभाग से मुख्य लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः श्री गोपाल जी सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक को एतद द्वारा दोषमुक्त करते हुए, संस्थित अनुशासनिक जांच प्रकरण समाप्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति श्री गोपाल जी सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जायेगी।

(नवीन गुप्ता)
मुख्य अभियंता(अ–3)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि श्री गोपाल जी सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक आवासीय पता–मोहल्ला गुदरी बाजार, रसड़ा, बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0

(नवीन गुप्ता)
मुख्य अभियंता(अ–3)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियंता(वारा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
2– अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), अयोध्या।
3– अधीक्षण अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बलिया।
4– अधीक्षण अभियंता (अ–3), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ को इस आदेश की प्रति श्री गोपाल जी सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक की चरित्र पंजिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
5– प्रशासनिक अधिकारी/निजी सचिव, शिकायत अनुभाग को गार्ड फाईल हेतु।

9.5.22

(रमेश कुमार गुप्ता)
उप सचिव (शिकायत)

Encl. No. 20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

421
Cr. 10-10
21
25-04-23

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Year (वर्ष): 2023

1. District (जिला): बलिया
   P.S. (थाना): कोतवाली
   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): [illegible]
   Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 21/04/2023 17:14 बजे

2. S No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ))

S No.	Acts	Sections
1	भा.द.स. 1860	420
2	भा.द.स. 1860	409

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
   Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 21/04/2023 Time (समय): 17:14 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा सन्दर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 037 Date & Time (दिनांक और समय): 21/04/2023 17:14 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): [illegible]

5. Place of Occurrence (घटनास्थल): Beat No. (बीट सं.):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):
   (b) Address (पता): अज्ञात
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): श्री अंकुर श्रीवास्तव
   (b) Father's Name (पिता का नाम): श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यू.आई.डी. सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
   S No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

   (h) Address (पता)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अधिशासी अभियन्ता कार्यालय ,निर्माण खण्ड बलिया ,कोतवाली,बलिया,उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	निवासगाव रायबरेली ,कोतवाली नगर रायबरेली,उत्तर प्रदेश,भारत

DA/Cr/HC

Recd 21/4/23
21/4/23
27.4.23
Recd 27/4/23

7/2023 नोटिस अन्तर्गत धारा (T-091 CrPC) डि कोतवाली जनपद बलिया 539

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):91-9473942710

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
[illegible]	[illegible]		पिता का नाम : अज्ञात	1. 22/3 लाजपतनगर चौक लखनऊ, लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू. डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण)

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

[illegible] E-mail [illegible] ballia@gm Mob. 9473942710 उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) [illegible] 421 [illegible] -10/8 दिनांक 15.04.023 सेवा मे, थानाध्यक्ष [illegible] ज्योति बिल्डटेक प्राइवेट 22 / 3 लाजपत नगर चौक, लखनऊ रजिस्टर्ड आफिस 68 / 53 [illegible] नई दिल्ली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एव वसूली की कारवाई करने के सम्बन्ध मे। उपर्युक्त [illegible] नगर पालिका परिषद, बलिया मे एसटीपी का निर्माण कराने हेतु अनुबन्ध संख्या - 03/SE / 2009-10 के अन्तर्गत मेसर्स ज्योति बिल्डटेक द्वारा कार्य कराया जा रहा था। कालान्तर मे उक्त कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के दृष्टिगत जाँचोपरान्त कार्यों को ध्वस्त कराते हुए पुन कार्य कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु उक्त फर्म द्वारा [illegible] अनुपालन समयान्तर्गत नहीं किया गया। तदोपरान्त उक्त कार्य के सापेक्ष जमानती धनराशि जब्त किये जाने हेतु [illegible] सम्पर्क किया गया तो संज्ञानित हुआ कि उक्त जमानती धनराशि के सापेक्ष जमा की गई Bank Guarantee [illegible] उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष पुन Bank Guarantee जमा किये जाने हेतु फर्म को कई बार निर्देशित [illegible] द्वारा Bank Guarantee जमा नहीं की गई। तब तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता अस्थाई निर्माण [illegible] द्वारा अपने पत्रांक 584 [illegible] दिनांक 12.5.2020 द्वारा उक्त अनुबन्ध निरस्त कर [illegible] अनुबन्ध [illegible] करने के कारण वर्तमान तक पूर्ण नहीं हो सके है। अत [illegible] लखनऊ जो कि मेसर्स ज्योति बिल्डटेक [illegible] नई दिल्ली [illegible] पर कार्यरत है के विरुद्ध धोखाधड़ी, [illegible] सरकारी धन का दुरुपयोग इत्यादि [illegible] प्राथमिकी दर्ज करते हुए उक्त सरकारी धन की [illegible] (अतुल श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता [illegible] थाना कोतवाली [illegible] 9473942710 . 20.04.2023 पृ0सं0 [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय, उप [illegible] को प्रबन्ध निदेशक महोदय को संज्ञानार्थ करने हेतु 2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नगर/प्रशासन), उप जल निगम (नगरीय), लखनऊ। 3. मुख्य अभियन्ता (नगर), उप जल निगम (नगरीय), लखनऊ। 4. मुख्य अभियन्ता ([illegible] (नगरीय) प्रयागराज। 5. अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल, उप जल निगम (नगरीय), आजमगढ। [illegible] बलिया 7. मुख्य विकास अधिकारी बलिया। 8. पुलिस अधीक्षक, बलिया। 9. श्री अनुभव कुमार [illegible] वसूली की कारवाई व्यक्तिगत समन्वय कराते हुए [illegible] अधिशासी अभियन्ता नोट [illegible] चन्दन तिवारी

2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item
(की गई कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का उल्लेख मद नं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम) GYAN CHAND SHUKLA Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
[illegible] to take up the investigation (को जांच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

या [illegible]

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण)

F.I.R. read over to the complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और
R.O.A.C. ([illegible])

4. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

5. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Rajeev Singh
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 012320035

21/4/23

Annexure - 02

<u>कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, बलिया</u>

संख्या–2301 / आ0ले0–उ0जि0ब0 दिनांक: 20 मई, 2023

मे0 ए0एफ0सी0 इण्डिया
<u>बलिया।</u>

प्रबन्धक, मे0ए0एफ0सी0 इण्डिया, बलिया द्वारा दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एस0डब्लू0एम0 प्लांट, बसंतपुर, बलिया के निर्माण/संचालन हेतु उक्त प्लांट की गाटा संख्या स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित गाटा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन के बाहर होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी, सदर बलिया से आख्या प्राप्त की गयी।

चकबन्दी अधिकारी, सदर बलिया की जांच आख्या दिनांक 26.04.2023 निम्नवत् है :–

1 मौजा बसन्तपुर एहतमाली, परगना व तहसील बलिया के आधार पर वर्ष खतौनी खाता सं0–110 में अंकित गाटा सं0–481/2.56, 482/1.90, 580/1/0.30, 581/0.22 कुल 04 गाटा रकबा 4.98 एकड़ में से 4.56–1/2 एकड़ पर नगर पालिका बलिया का नाम अंकित है, जिस पर कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बना हुआ है।
2 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट, बसन्तपुर, सुरहाताल जलीय क्षेत्र से काफी दूर है।
3 सुरहाताल वॉच टावर से कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी लगभग 1280मीटर है।
4 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास कभी प्रवासी पक्षी नहीं आते है।
5 कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास बाढ़ समय को छोड़कर कभी पानी सुरहाताल का नहीं आता है।
6 Resettelment के उपरान्त पक्षी बिहार की सीमा वॉच टावर के पास मानते हुए कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी 1200मीटर है, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन की सीमा (1.00 किमी) से बाहर आता है।

20/5/23

(प्रशान्त कुमार नायक)
उप जिलाधिकारी,
सदर–बलिया

सेवा में ,

उप जिलाधिकारी

सदर बलिया।

विषय- बसंतपुर प्लांट के गाटा संख्या को इको सेंसटिव ज़ोन से बाहर होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संदर्भ में |

महोदय,

प्रार्थी में. ए.एफ.सी इंडिया को एस.डब्ल्यू.एम. प्लांट बसंतपुर, बलिया के निर्माण/ संचालन का अनुबंध दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को नगर पालिका बलिया के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा कूड़ा प्रबंधन, पुन: चक्रण, उपचार एवं निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग दिनांक 17 मार्च 2023 को किया गया, जिस क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बसंतपुर प्लांट का निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों द्वारा बसंतपुर प्लांट के गाटा संख्या की यह स्पष्ट करते हुए कि संबंधित गाटा परिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसटिव ज़ोन के बाहर है। की मांग किया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि बसंतपुर प्लांट के गाटा संख्या का इको सेंसटिव ज़ोन से बाहर होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

17/4/23

17/4/23

प्रार्थी,

Shivam Singh

मैं. ए.एफ.सी इंडिया

बलिया

10-4-2023

7860061735

9450516862

श्रीमान जी

संलग्न पत्र स० एक्शन इण्डिया का० एस. डब्लू. एम. प्लांट बसन्तपुर के बावत मांगी गई आख्या निम्न प्रकार है।

26.4.23
27/4/23

1- मौजा बसन्तपुर सहतमानी फ०त० शाखिया के आधार वर्ष खतौनी खाता 110 में अंकित खाता सं० $\frac{581}{2.56}$, $\frac{582}{1.90}$, $\frac{580}{0.30}$, $\frac{581}{0.22}$ कुल $\frac{4 \text{ गाटा}}{4.98}$ एकड़ में से 4.56½ एकड़ पर नगर पालिका परिषद का नाम अंकित है जिस पर कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बना हुआ है।

2. कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर सुरहा ताल आर्द्र क्षेत्र से काफी दूर है

3:- सुरहा ताल कांच टावर से कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी लगभग 1280 मीटर है।

4:- कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास कभी प्रवासी पक्षी नहीं आते हैं।

5:- कूड़ा प्रबन्धन प्लांट बसन्तपुर के पास बाढ़ समय को छोड़कर कभी पानी सुरहा ताल का नहीं आता है।

6:- नये सिरे से चिन्हित पक्षी विहार की सीमा कांच टावर के पास मानते हुए कूड़ा प्रबन्धन प्लांट की दूरी 1200 मीटर है। जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसटिव जोन की सीमा (1.00 किलोमीटर) से बाहर आता है।

अतः आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ले०पा०
25-4-023

रा०नि०
25/4/2023

रा०का० सदर

महोदय, बसन्तपुर प्लांट के गाटा सं० को इको सेंसटिव जोन से बाहर होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबन्ध में ले०पा०, रा०नि० की स्थलीय रिपोर्ट प्रेषित है।

A.O. I
26/4/23

उपजिलाधिकारी सदर

महोदय,
ग्राम बसन्तपुर प्लांट को गाटा सं० को इको सेंसटिव जोन से बाहर होने का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ले०पा०रा०नि० की आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 26.04.23

प०अ०सदर बलिया

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 424 /31/बन्दो० रामनगर, दिनांक, जुलाई 26 2023

सेवा में,

कुल सचिव,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
जनपद–बलिया।

विषय : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में अवरुद्ध निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र संख्या–जे०एम०सी०यू०/सा०प्र०/5197/2023, दिनांक 18.07.2023

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य बेंच (कोर्ट नं0–2, आइटम नं0–8) के ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–698/2022 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड में पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 **(संलग्नक–1)** जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है –

Para-10 "In view thereof the Registrar, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh is directed Not to carry any further construction on any part of land falling with ESZ area of 1.0 kilometer from the boundary of Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary, Ballia"

Para-11 "The District Magistrate and the Supritendent of Police, Ballia and Divisonal Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi are directed to take all requisite steps to ensure that no further construction takes place on the above said Eco Sensitive Zone."

उपरोक्त वाद में मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा सुनवायी दिनांक 12.07.2023 **(संलग्नक–2)** को किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है –

Para-06 "After hearing the parties and considering the application, the Settlement Officer (Forest) passed an order demarcating the land under Section 24/2/k of Wildlife Protection Act, 1972. The report was called from the Forest Department and Regional Director, Forest Social Forestry Ramnagar and Ballia. They submitted a joint report with the facts that the Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary, Surha Tal has a total area 34.329 sq.km which is situated in different 44 villages. Out of this area, 3300.15 hectare land is a land of private owners/agriculturists. Rest of the land i.e. 132.78 hectare is a land of Gram Samaj. The settlement proceedings have been initiated and pending before Settlement Officer (Forest). It is contended by learned Counsel appearing for the respondent that a Settlement Officer (Forest) is a competent authority to decide the matter with regard to land within the area and any order passed by the Settlement Officer (Forest) is an appealable order and any person aggrieved can file appeal or revision before the competent authority. The order passed by the Settlement Officer (Forest) cannot be challenged before this Tribunal. In view of the above proceeding before Settlement Officer Forest, para 10 and 11 of order dated 03.03.2023 is recalled "

मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा सुनवायी दिनांक 12.07.2023 में अधोलिखित निर्देश पारित किये गये हैं –

Para-15 "In view of the above provisions, we direct as follows:

i. The matter referred in the letter petition may be placed before the competent committee called Monitoring Committee for monitoring the eco-sensitive zone as notified in

Section 5 of the Notification dated 8.3.2019 issued by MoEF&CC and the Committee shall strictly comply with the provisions contained in the notification.

ii. MoEF&CC and State of UP shall strictly follow the provisions in the guidelines dated 9.2.2011 and provisions contained in the ESZ Notification pertaining to respective protected areas with regard to prohibited, regulated and permissible activities.

iii. The Monitoring Committee quoted above is directed to strictly follow the guidelines and take necessary action according to Rules and to ensure that there should not be violation of environmental laws.

iv. Activities within the area should be regulated in accordance with guidelines issued and we further direct that while granting Environmental Clearances/Forest Clearances for project activities in eco-sensitive zone, the District Administration and State of UP shall strictly follow provisions contained in the Office Memorandum dated 17.05.2022 issued by the MoEF&CC. The matter of dispute coming within the provisions of Forest Act and other Acts, shall be placed before Settlement Officer (Forest) for demarcation and identification of land and the Settlement Officer (Forest) shall decide the matter in accordance with the rules and anyone aggrieved by the order of Settlement Officer (Forest), has a right to appeal or revision according to law."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.07.2023 के आदेश के परिपेक्ष्य में दिनांक 03.03.2023 का आदेश प्रभावी नहीं रह गया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बलिया महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी

Annexure - 03

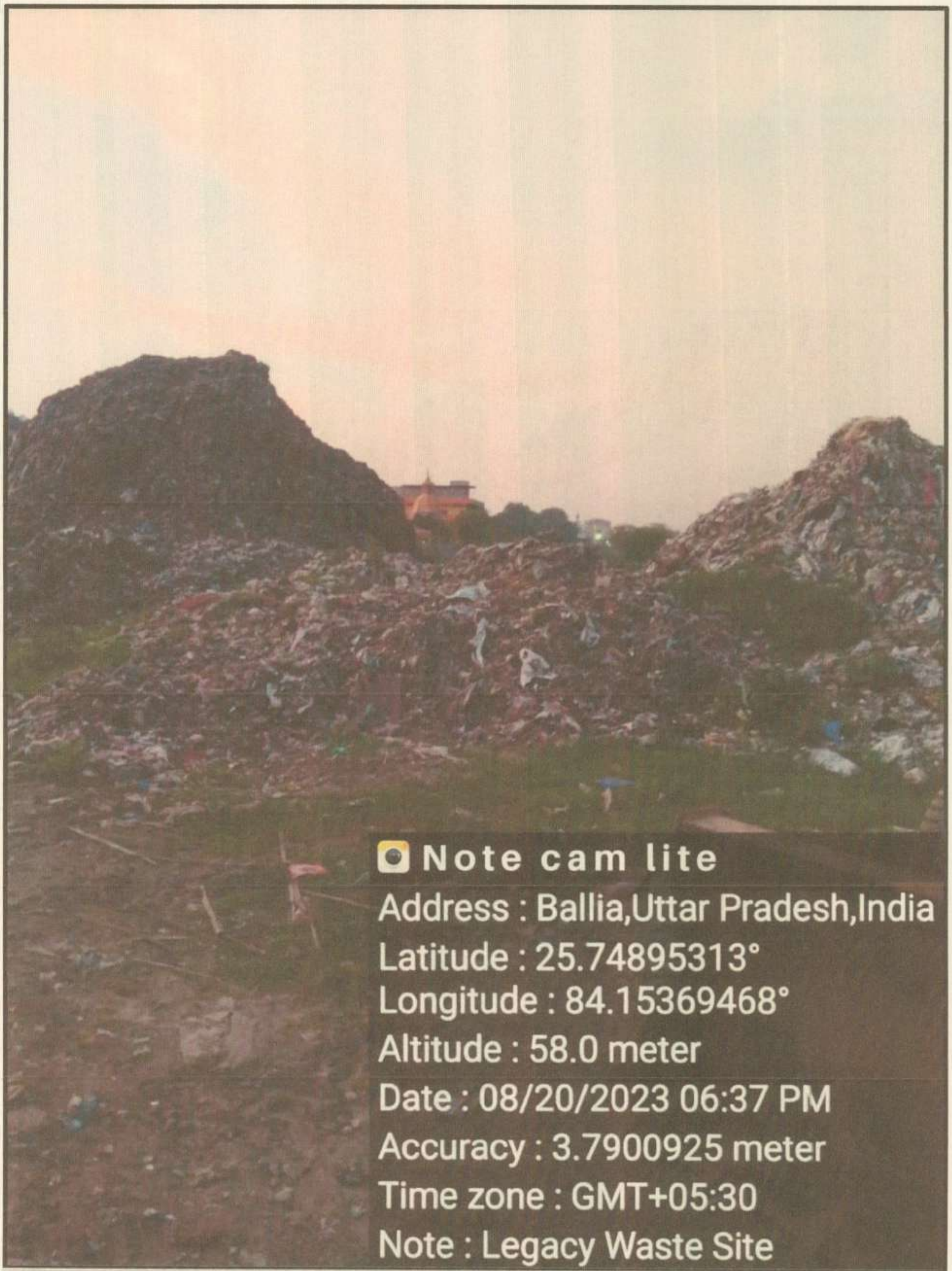
Note cam lite
Address : Ballia,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.74895313°
Longitude : 84.15369468°
Altitude : 58.0 meter
Date : 08/20/2023 06:37 PM
Accuracy : 3.7900925 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Legacy Waste Site

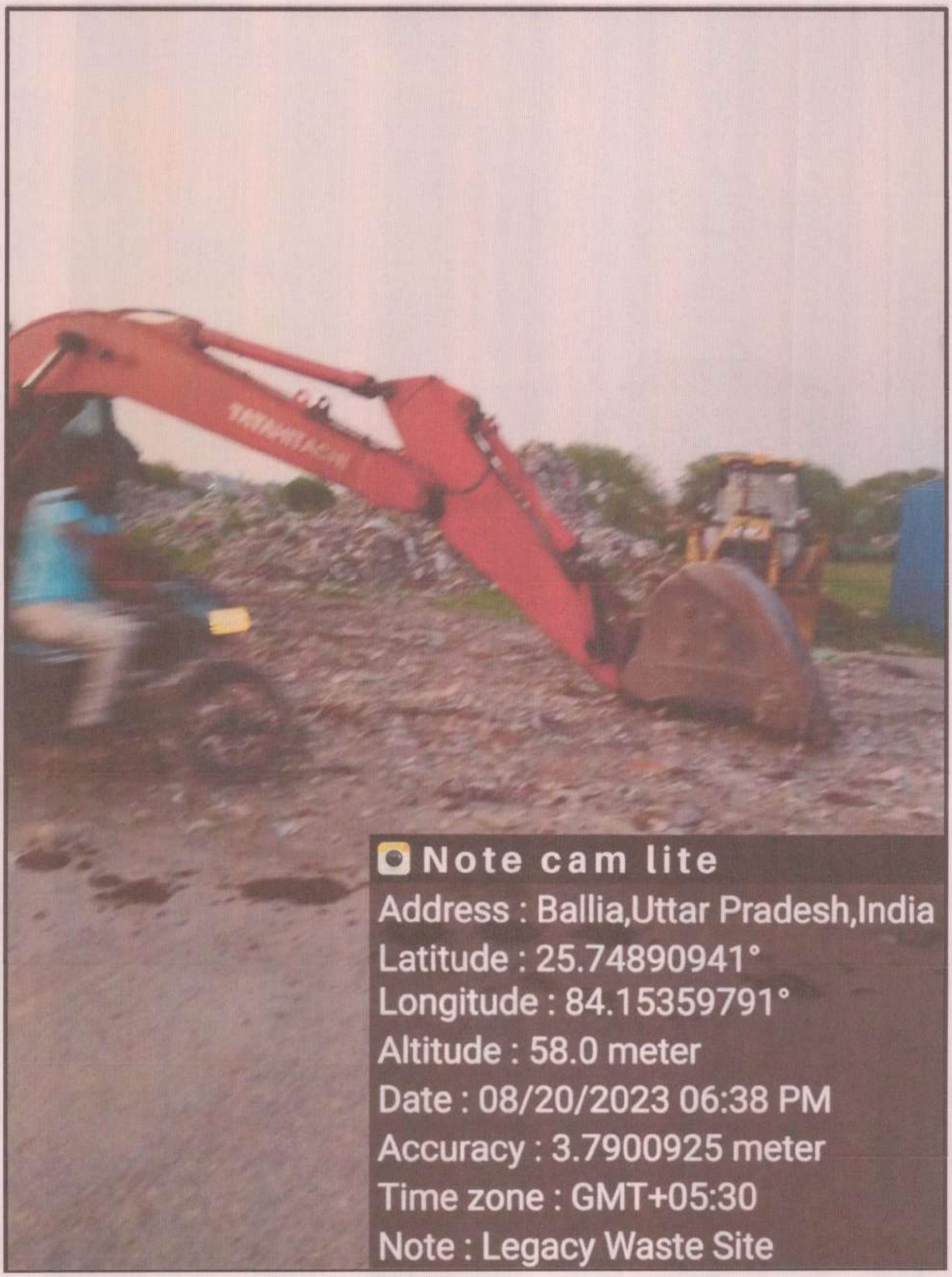
Note cam lite
Address : Ballia,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.74890941°
Longitude : 84.15359791°
Altitude : 58.0 meter
Date : 08/20/2023 06:38 PM
Accuracy : 3.7900925 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Legacy Waste Site

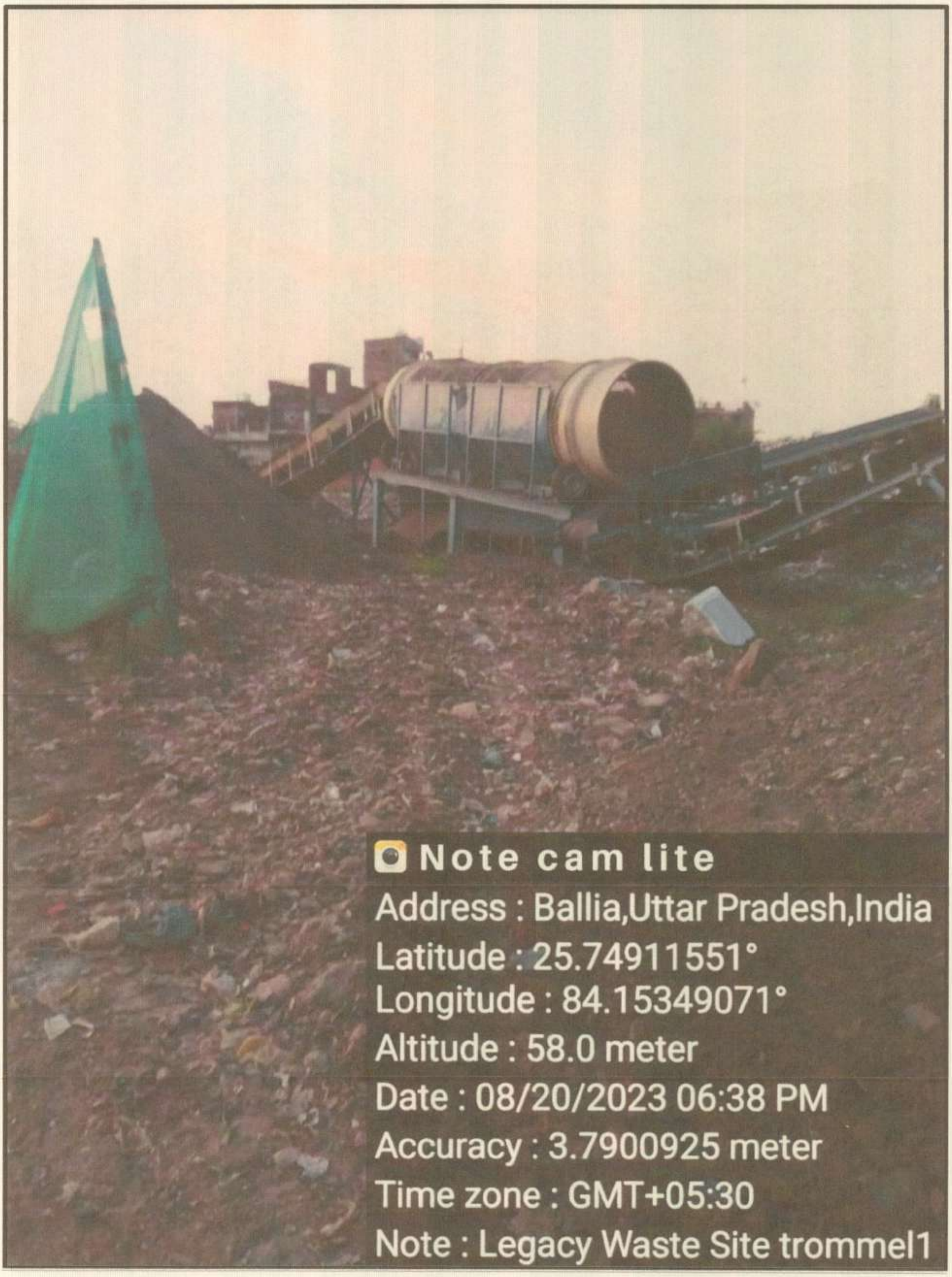
Note cam lite
Address : Ballia,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.74911551°
Longitude : 84.15349071°
Altitude : 58.0 meter
Date : 08/20/2023 06:38 PM
Accuracy : 3.7900925 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Legacy Waste Site trommel1

Note cam lite
Address : Ballia,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.74915291°
Longitude : 84.15339947°
Altitude : 58.0 meter
Date : 08/20/2023 06:39 PM
Accuracy : 3.7900925 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Legacy Waste Site trommel1

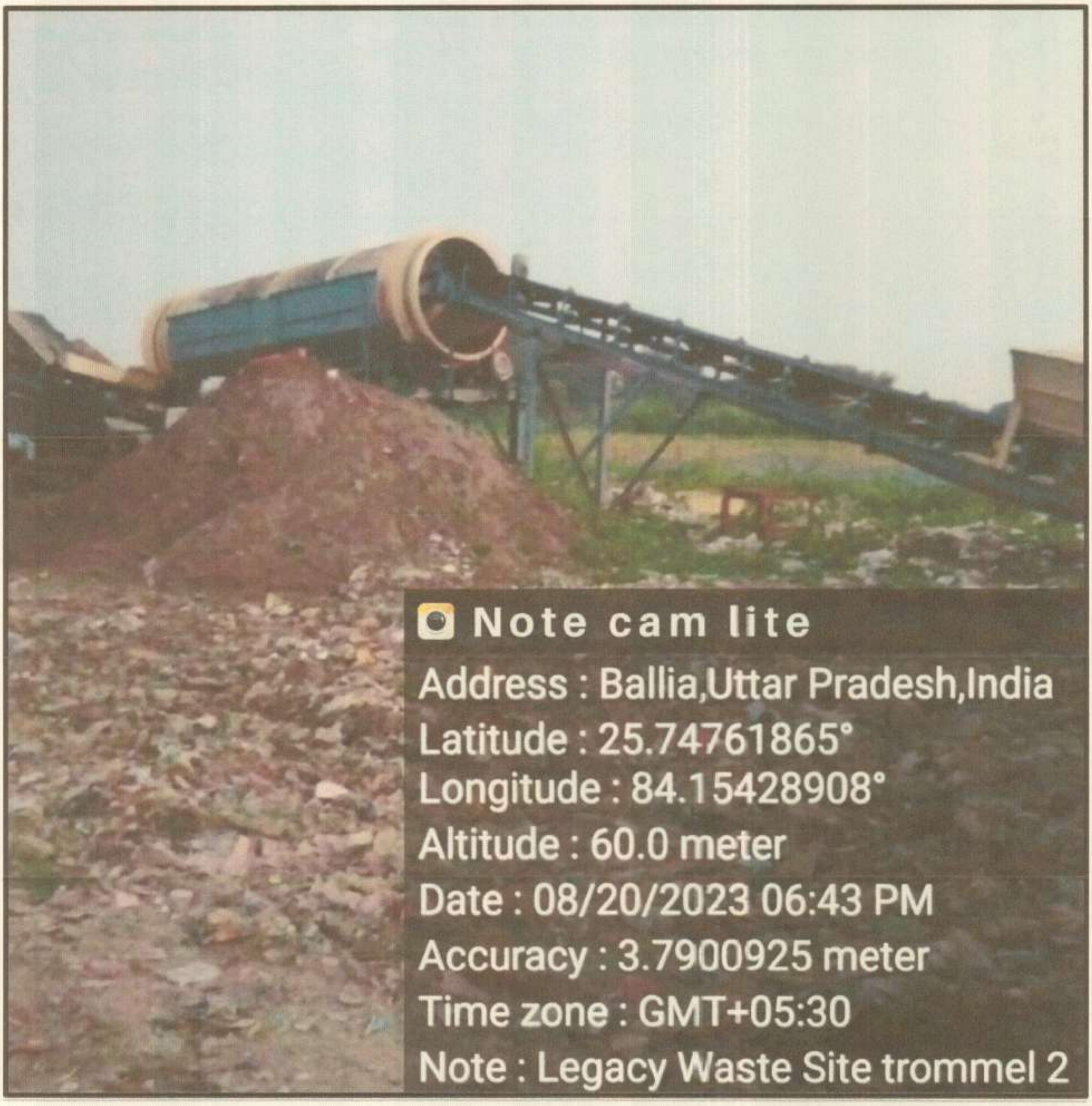
Note cam lite
Address : Ballia,Uttar Pradesh,India
Latitude : 25.74761865°
Longitude : 84.15428908°
Altitude : 60.0 meter
Date : 08/20/2023 06:43 PM
Accuracy : 3.7900925 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Legacy Waste Site trommel 2